अल - अ़क़ाइद
भाग - ४

विषय सूची

पहला बाब - आंहज़रत सल्ला० ने महेदी अले० के जन्म की सूचना दी है

१ महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की संतान हैं *1*

२ बाज़ लोगौं का ख़याल है कि महेदी और ईसा दो शख़्स नहीं बल्कि ईसा ही महेदी हैं। *9*

३ महेदी अले० की तालीम और इस्लाह अल्लाह तआला की वही और इल्हाम से है। *10*

४ महेदी अले० ख़लीफ़तुल्लाह हैं *11*

५ महेदी अले० ख़ातिमे दीने रसूलुल्लाह सल्ला० हैं *14*

६ महेदी अले० का दावा-ए-महेदियत आम अफ़्रादे इन्सान पर होगा *16*

७ महेदी अले० का पैदा होना ज़रूरियाते दीन से है *17*

८ महेदी अले० अबूबकर सिद्दीक़ रज़ी० से अफ़ज़ल हैं *21*

९ महेदी अले० की इत्तेबा फ़र्ज़ है *23*

१० महेदी अले० मौजूदा अहकाम के अलावा जदीद अहकाम की दावत भी फ़र्माऐंगे। *25*

दूसरा बाब - महेदी अले० की आमद

११ महेदी अले० का ज़ुहूर *28*

१२ महेदी अले० की बेसत व दावत *29*

१३ महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० के ताबे हैं *30*

१४ महेदी अले० मुबैइने शरीअत हैं *34*

१५ महेदी अले० की दावत *36*

१६ महेदी अले० का मज़्हब *39*

१७ महेदी अले० के दो मन्सब *40*

१८ मुन्किरीने महेदी अले० के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ नही *41*

तीसरा बाब - उन अहकाम के बयान में जिनको महेदी अले० ने अपने मोमिनीन् पर फ़र्ज़ क़रार दिया है

१९	सुहबते सादिकाँ	*44*
२०	ज़िक्रे कसीर	*45*
२१	तलबे दीदारे ख़ुदा	*45*
२२	तर्के दुनिया	*45*
२३	उज़लत अज़ ख़ल्क़	*46*
२४	तवक्कुल	*46*
२५	हिज्रत	*47*
२६	ईमान	*47*
२७	ईमान तस्दीक़े क़ल्बी (दिल से तस्दीक़ करने) का नाम है	*48*
२८	ईमान नफ़से तर्के दुनिया है - बहस	*52*
२९	मोमिने फ़ासिक़ नरक में जाएगा या नहीं	*55*
३०	मोमिने हक़ीक़ी, मोमिने हुक्मी और मोमिने उर्फ़ी	*58*
३१	मोमिने हुकमी के सिफ़ात (गुण)	*61*

चौथा बाब - महेदी अले० के सहाबा

३२	महेदी अले० के सहाबा की तारीफ़	*63*
३३	महेदी अले० के ख़ुलफ़ा	*63*
३४	बाराह सहाबी रज़ी० जिनके हक़ में जन्नत की बशारत दी गई है	*64*
३५	महेदी अले० के सहाबा रसूलुल्लाह सल्ला० के सहाबा के समान हैं	*64*
३६	ख़ातिमैन अले० की तस्वीयत (समानता)	*65*

भूमिका

हामिदन् व मुसल्लियन् - बंदा सैयद अश्रफ़ इब्ने सैयद अली इब्ने अल्लामा हाफ़िज़ मौलवी सैयद अश्रफ़ अर्ज़ करता है कि अल-अक़ाइद का दूसरा भाग जो हम ने लिखा है उस में ख़याल रखा गया है कि उसके मज़ामीन क़ौम के कमसिन बच्चों की समझ में आजाऐं और मुम्किन है कि इस रिसाले से हमारी यह ग़र्ज़ पूरी होगई होगी। अब हम ने यह इरादा किया है कि अल अक़ाइद के दूसरे भाग में जो मसाइल बयान किये गये हैं उनमें से बाज़ मसअलों की तौज़ीह की जाए जिस से तालिबाने इल्म के ख़यालात में इज़ाफ़ा हो और ज़रूरत के वक़्त उस से मदद् ले सकें।

इस रिसाले में चार बाब (अध्याय) लिखे गये हैं और हर बाब में कई फ़स्ल (उपभाग) हैं। अल्लाह जल्ल शानहु से दुआ है कि इस रिसाले की तालीफ़ मैं ने जो ख़ास हिमायते जज़्हबी के लिये की है मुझ जैसे ज़ईफ़ व मरीज़ से पूरी कराय और अहले मज़्हब को इससे लाभ पहुंचाए और इल मुअल्लिफ़ (लेखक) के लिये ज़ख़ीर -ए-आख़िरत फ़र्माए।

फ़स्तईनतु बिल्लाहि व तवक्कलतु अलैहि फ़इन्नहु, हस्बी व नेअमल वकील

प्राक्कथन

यह अल्लाह तआला की दया और उसकी कृपा है कि उसने मुझे इस पुस्तक को सरल हिन्दी भाषा में रूपान्तरित करने का अवसर प्रदान किया। इस से पूर्व मैं ने 'अल-अक़ाइद' (पहला और दूसरा भाग) का हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद किया था जो दो बार छप चुके हैं।

हज़रत बहरूल उलूम अल्लामा शम्सी रह. ने ह. मौलाना सैयद मुर्तुज़ा यदुल्लाही रह. के प्रस्ताव पर कम उम्र बच्चौं की शिक्षा के लिये प्रश्नोत्तर रूप में अल - अक़ाइद का पहला और दूसरा भाग १३३२ हिज्री / १९१३ में लिखा था जो अबतक कई बार प्रकाशित हो चुका है। इन दो भागौं में से महत्वपूर्ण विषयों को अल - अक़ाइद के तीसरे और चौथे भाग में विस्तारपूर्वक समझाया गया है, जिसको अल्लामा शम्सी रह. ने अपने प्रिय पुत्र स्वर्गीय मियाँ सैयद अली की इच्छानुसार १३३४ / १९१५ में लिखा था। इस पुस्तक का उर्दू भाषा में प्रथम संस्करण मर्कज़ी अंजुमने महदवियह हैदराबाद ने लग-भग ५० वर्ष पूर्व प्रकाशित किया था फिर अल्लामा शम्सी रिसर्च अकाडमी ने २००३ मे दूसरी बार प्रस्तुत किया। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद ह. सैयद याक़ूब रोशन यदुल्लाही ने किया था जो अकाडमी की ओर से २००५ में प्रकाशित किया गया, और अब यह हिन्दी अनुवाद आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अनुवाद के विषय में अधिकतर लोगौं ने मुझ से कहा था कि वे उर्दू पढ़ना नहीं जानते किन्तु समझ सकते हैं इसलिये उर्दू ग्रंथ को हिन्दी लिपि में लिखदिया जाय तो काफ़ी है, फिर भी मैं ने पारिभाषिक और कठिन शब्दों का हिन्दी अनुवाद लिखदिया है। मैं हिन्दी का विद्वान तो नहीं हूँ, यह केवल एक प्रयास है जो आज की आवश्यकता को देखते हुवे किया गया है। यदि कोई ग़लती नज़र आए तो संशोधन करलें और होसके तो मुझे भी सूचना दें।

अल्लाह तआला से दुआ है कि इस प्रयास को स्वीकार करे और हम सब का ईमान सुरक्षित रखे और अमले सालेह की तौफ़ीक़ प्रदान करे। *अमीन*

शेख़ चाँद साजिद
अनुवादक

पहला बाब

इस बयान में कि आँहज़रत सल्ला० ने महदी अले० के जन्म की सूचना दी है

फ़स्ल: इस बयान में कि महदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की संतान हैं। बाज़ेह हो कि अकसर हदीसौं से साबित है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की औलाद से हैं। बाज़ हदीसें अपने ज़ाहिर अलफ़ाज़ से यह बताती हैं कि महेदी अले० हज़रत अब्बास बिन अलमुत्तलिब की औलाद से हैं मगर ग़ौर करने से यह मालूम होता है कि उलमा ने उन हदीसौं में ग़ौर नहीं किया और ग़लत फ़हमी (भ्रान्ति) से यह कहदिया है कि महेदी अले० हज़रत अब्बास रज़ी० की औलाद से हैं। इस हदीस में हम आइंदा बहस करेंगे और बताऐंगे कि यह हदीस ज़ाहिरी माना पर महमूल नहीं है।

इस अम्र मे कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की संतान से हैं बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं। पहली हदीस यह है हाफ़िज़ अबू नईम ने अपने मस्नद मे रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने कहा कि महेदी मेरी औलाद से एक मर्द है जिसका चहरा रोशन सितारे की तरह होगा। इस हदीस को मुल्ला अली अलक़ारी ने रिलातुल महदी में ज़िकर किया है। दूसरी हदीस यह है जो उसी मस्नद में रिवायत की गई है यानि हुज़ैफ़ा रज़ी० ने रसूल सल्ला० से रिवायत की है कि

आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि महेदी मेरी औलाद से है उसका रंग अरबी और जिस्म इसराईली है उसके सीधे रुख़सार पर एक तिल है गोया वह एक रौशन सितारा है। ज़मीन को अदल व इन्साफ़ से ऐसा भरेगा जैसा कि वह ज़ुल्म से भरी हुवी थी, उसकी ख़िलाफ़त से ज़मीन और आस्मान के रहने वाले यानि फ़िरिश्ते, इन्सान और परिन्दे ख़ुश हैं। इस हदीस को मुल्ला अली अलक़ारी ने 'रिलातुल महेदी' में ज़िकर किया है। इस रिवायत में महेदी के यह औसाफ़ (गुण) कि आपका शरीर इसएईली और आप का रंग अरबी होगा और आप के मूंह पर एक रोशन तिल होगा मशहूर (प्रसिद्ध) नहीं है। बहुत सी हदीसौं से ज़ाहिर होता है कि आँहज़रत सल्ला० ने यह ख़ुसूसियत भी बढ़ाइ है कि महेदी अले० फ़ातिमा रज़ी० की औलाद से होगा। चुनांचे हाकिम ने रिवायत की है कि उम्मे सल्मा रज़ी० से रिवायत है कि आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि महेदी मेरी इत्रत यानि औलादे फ़ातिमा रज़ी० से है। तब्रानी मे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़ातिमा रज़ी० से फ़र्माया है कि उस ज़ात की क़सम है कि जिसने मुझे हक़ के साथ पैदा किया है इन दोनों यानि हसन और हुसेन से इस उम्मत का महेदी होगा। उम्मे सलमा रज़ी० से रिवायत है कि फ़र्माती हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्ला० को यह फ़र्माते सुना है कि महेदी मेरी इत्रत यानि फ़ातिमा की औलाद से है। इन सब हदीसों को मुल्ला अली अलक़री ने 'रिसालतुल महेदी' मे ज़िकर किया है और बयान किया है कि अबू दाऊद और इब्ने माजा ने अपने सुनन में इस हदीस की रिवायत की है *अनिल हुसेन रज़ी० अन्न नबी सल्ला० क़ाला लिफ़ातिमा अलमहेदी मिन वलदिक* यानि हज़रत हुसेन रज़ी० ने रसूलुल्लाह सल्ला० से

रिवायत की है कि आँहज़रत सल्ला० ने फ़ातिमा रज़ी० से फ़र्माया कि महेदी तुम्हारी औलाद से है। शेख़ जलालुद्दीन सुयूती ने इब्ने असाकर से भी 'अल उरफ़ुल वरदी' में यह रिवायत की है कि हुसैन रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि ऐ फ़ातिमा तुमको ख़ुश ख़बरी हो कि महेदी तुम्हारी औलाद से है। सुयूती ने उसी पुस्तक में यह भी रिवायत की है कि हज़रत अली रज़ी० से रिवायत है कि महेदी औलादे फ़ातिमा रज़ी० से है। इन हदीसौं में यह तसरीह (व्याख्या) है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की संतान से हैं लेकिन औलादे रसूलुल्लाह सल्ला० से ख़ास फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी० से हैं और यह ख़ुश ख़बरी मख़सूस फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी० के हक़ में है।

हासिल यह है कि उपर्युत्क हदीसौं से यह साबित है कि महेदी अले० फ़ातिमा रज़ी० की संतान से हैं मगर इस विषय में मतभेद है कि महेदी अले० फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी० के कोनसे पुत्र की संतान से है। बाज़ रिवायतौं से ज़ाहिर होता है कि महेदी अले० हसन रज़ी० की संतान से हैं, चुनांचे अली रज़ी० से अबूदाऊद में यह रिवायत की गई है कि हज़रत अली रज़ी० ने अपने बेटे हसन रज़ी० को देखकर फ़र्माया कि मेरा यह बेटा सैयद है चुनांचे रसूलुल्लाह सल्ला० ने उसका नाम सैयद रखा है, उस से एक शख़्स पैदा होगा जो तुम्हारे नबी का हमनाम होगा और ख़ुल्क़ (प्रकृति) में मुशाबेह। इसी मज़्मून की रिवायत नईम बिन हम्माद ने भी की है। नईम बिन हम्माद इमाम बुख़ारी के शुयूख़ (गुरू) से हैं -अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी० फ़र्माते है

कि औलादे हसन रज़ी० से एक शख़्स पूरब की तरफ़ से निकलेगा, अगर पहाड़ भी बीच में आजाऐं तो उनको गिरादेगा और उनमें रास्ता पैदा करेगा। मुल्ला अली अलक़ारी ने इन दोनों रिवायतौं को रिसालतुल महेदी मे लिखा है। उलमा ने यह स्वीकार किया है कि यह दोनों रिवायतें महेदी अले० की शान में हैं अगरचे इनमें महेदी का नाम मज़्कूर नहीं है। इन हदीसौं का हासिल यह है कि महेदी हसन रज़ी० की संतान से होंगे और बाज़ रिवायतौं से साबित है कि इमाम अले० हज़रत हुसेन रज़ी० की संतान से हैं। चुनांचे यह रिवायत भी हज़रत अली रज़ी० और दीगर अस्हाब रज़ी० से मर्वी है, साहबे इक़दुद दुरर ने इन हदीसौं का ज़िकर किया है।

इस वर्णन का हासिल यह है कि बाज़ रिवायतौं से साबित होता है कि महेदी हसनी हैं और बाज़ रिवायतौं से साबित होता है कि हुसेनी हैं। यह सब अख़बारे आहाद हैं और उनमें यह संदेह भी है कि जिस रिवायत में शब्द हसन है अस्ल में हुसेन हो और जिस में शब्द हुसेन है अस्ल मे हसन हो। चुंकि इन दोनौं नामौं में मूल धातु शब्द मिला हुआ है दोनों प्रकार के संदेह की संभावना है, मगर इस तरह की रिवायतें इस अम्र में निश्चित हैं कि महेदी अले० फ़ातिमी हैं और इन रिवायतौं में यही विषय विश्वस्त है और हसनी या हुसेनी होना इस वजह से कि मुतआरिज़ (परस्पर - विरोधी) है साक़ित (निरर्थक) है। इस वास्ते उलमा ने यह स्वीकर किया है कि महेदी अले० का फ़ातिमी होना ज़रूरी है, चुनांचे अल्लामा सादुद्दीन तफ़ताज़ानी ने शर्ह मक़ासिद में इसकी तस्रीह की है कि 'उलमा का यह मज़्हब है कि महेदी अले०

इमामे आदिल और फ़ातिमा रज़ी० की औलाद से है उसके ज़हूर का ज़माना निश्चित नहीं है अल्लाह जब चाहेगा उसको पैदा करेगा और नुसरते दीन के लिये उसको मबऊस (नियुत्क) फ़र्माएगा। इस क़ौल से चंद अम्र समझ में आते हैं। पहला यह है कि पिछले उलमा ने इत्तिफ़ाक़ किया है कि महेदी अले० फ़ातिमा रज़ी० की संतान से हैं। दूसरा यह है कि आप इमाम आदिल हैं। तीसरा यह है कि आपके ज़हूर (प्रकटन) का समय निश्चित नहीं है बल्कि अल्लाह तआला आपको जब चाहेगा पैदा करेगा पस यह बात बातिल है कि आप ईसा अले० के ज़माने में पैदा होंगे क्योंकि महेदी अले० की बेसत अल्लाह तआला की मशीयत पर मौक़ूफ़ है। इस विषय में हम अगली फ़स्लौं में विस्तारपूर्वक बहस करेंगे। चौथा यह है कि अल्लाह तआला आपको ख़ास दीन की नुस्रत (सहायता) के लिये पैदा करेगा, पस आप का नासिरे दीन होना दूसरे इमामौं के नासिरे दीन होने से मुम्ताज़ (प्रतिष्टित) है, क्योंकि दूसरे अइम्मा उस मन्सब (पद) पर मामूर (आदिष्ट) और मबऊस नहीं हैं बल्कि वे आम (सामान्य) आमिराने मारूफ़ और नाहियाने मुन्कर में दाख़िल हैं। ग़र्ज़ महेदी अले० के फ़ातिमी होने पर अलमाए मुतक़द्दिमीन ने इत्तिफ़ाक़ किया है नकि हुसेनी या हसनी होने पर। बाज़ौं ने बयान किया है कि इमाम अले० के हुसेनी या हसनी होने में जो हदीसें मर्वी हैं मुतआरिज़ नहीं हैं, क्योंकि मुम्किन है कि इमाम अले० अपने बाप की तरफ़ से हसनी हों और माँ की तरफ़ से हुसेनी हों। इसका जवाब पहले तो यह है कि यह महज़ ज़न (अनुमान) है जिसपर कोई दलील नहीं है दूसरा यह कि यह राय उसके अकस (उलटा) से ऊला (सर्वोचित) नहीं है यानि यह भी मुम्किन है कि महेदी अले० बाप की

तरफ़ से हुसेनी हों और माँ की तरफ़ से हसनी हों। अगर यह कहा जाए कि इमाम हुसेने रज़ी० की औलाद में बहुत से इमाम पैदा हुवे और इमाम हसन रज़ी० की औलाद में इस तरह अइम्मा की कसरत नहीं है। पस महेदी अले० अगर इमाम हसन रज़ी० की औलाद से होंगे तो गोया इमाम महेदी अले० अपने वहबी फ़ज़ाइल की वजह से इमाम हुसेन सज़ी० की औलाद में अइम्मा के मुक़ाबिल होंगे। इसका जवाब यह है कि पहले तो इस अम्र में अक़लन् लुज़ूम नहीं है कि यह दोनों इमाम और इन दोनों इमामौं के अख़लाफ़ मसावी मर्तबे के हों और नक़लन् भी इसमें लुज़ूम नहीं है। दूसरा यह कि इमाम हुसेन रज़ी० के जानशीनौं में जो लोग अइम्मा ख़याल किये जाते हैं उनकी इमामत न नक़लन् मनसूस है और न अक़लन् ज़रूरी है, हाँ उनकी करामात और बुज़र्गी उनकी तहारत और परहेज़गारी जिस क़द्र बयान की जाए थोड़ी है, इसी तरह अख़लाफ़े इमाम हसन रज़ी० में भी यह औसाफ़े करीमा क़ाबिले तस्लीम हैं, बल्कि इमाम हसन रज़ी० के अख़लाफ़ मुताख़रीन में भी यह औसाफ़ मुसल्लम हैं, मसलं क़ुत्बुल अक़ताब ग़ौसे आज़म शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रहे० और आपकी औलादे किराम वग़ैरहुम क़द्दसल्लाहु असरारहुम उन ही औसाफ़ से मौसूफ़ थे। ग़र्ज़ यह एतराज़ बातिल है।

बाज़ रिवायतौं में ज़िकर किया गया है कि महेदी अले० हज़रत अब्बास बिन अलमुत्तलिब की औलाद से हैं। इसके यह माना हैं कि फ़ातिमा रज़ी० चूंकि हज़रत अब्बास बिन अल मुत्तलिब की पोती हैं और इमाम अले० औलादे फ़ातिमा रज़ी० से हैं तो इस एतबार से यह

कहना दुरस्त है कि इमाम महेदी अले० औलादे अब्बास से हैं। वाज़ेह हो कि अख़बारे मुग़ीबा में इस तरह का अश्काल रहता है चुनांचे तौरात में ज़िकर किया गया है कि मूसा अले० के भाइयौं से एक पैग़म्बर आख़िर ज़माने में पैदा होगा, उस पैग़म्बर से सर्व मान्यता से रसूलुल्लाह सल्ला० मुराद हैं, मगर उसमें दुश्वारी यह है कि मूसा अले० के भाइयौं से वह शख़्स होगा जो हज़रत याक़ूब अले० की औलाद से होगा, और आँहज़रत सल्ला० इस्माईल अले० की औलाद से हैं, अगर उस उख़वत से उख़वते बईदा मुराद न होगी तो यह पेशीनगोई आँहज़रत सल्ला० के हक़ में सही नहीं होगी। इसी तरह महेदी अले० की पेशीनगोई में जो यह ज़िकर किया गया है कि महेदी अले० अब्बास रज़ी० की संतान से हैं उस से क़राबते बईदा (दूर का रिश्ता) मक़सूद है यानि आप इस वजह से कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी० के पोते हैं, हज़रत अब्बास रज़ी० के भी पोते हैं।

शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस ने 'लमआत' में ज़िकर किया है कि अहादीसे रसूलुल्लाह सल्ला० जो तवातुर की हद तक पहुंची हुवी हैं यह साबित करती हैं कि इमाम महेदी अले० अहले बैत और फ़ातिमा रज़ी० की औलाद से हैं। बाज़ हदीसौं से साबित होता है कि हसन सज़ी० की संतान से हैं और बाज़ हदीसौं से साबित होता है कि आप हुसेन रज़ी० की संतान से हैं और बाज़ ग़रीब हदीसौं से ज़ाहिर होता है कि आप अब्बास रज़ी० की औलाद से हैं। शेख़ इब्ने हजर हैसमी कहते हैं कि इन हदीसौं में तआरूज़ (परस्पर विरोध) और मुनाफ़ात (प्रतिकूलता) नहीं है क्योंकि एक शख़्स में मुख़तलिफ़ जिहतौं से मुख़तलिफ़ क़राबतें (रिश्ते)

पाई जासकती हैं। चुनांचे शेख़ अब्दुल हक़ की यह इबारत है *''क़द तज़ाहरत अल अहादीसल बालिग़ हद्दत तवातुर फ़ी कौनिल महेदी मिन अहलिल बैति मिन वलदि फ़ातिमा व क़द वुरिद फ़ी बाज़ल अहादीस कौनिहि मिन औलादिल हसन व फ़ी बाज़िहा मिन औलादिल हुसेन सलामुल्लाह अलैहिम अज्मईन व क़द वुरिद फ़ील अहादीसिल ग़रीबति अन्नहु मिन वलदिल अब्बास व क़ाला अश - शेख़ इब्ने हजर अलहैसमी वला मुनाफ़ात बैनहुमा इज़ ला माने मिन इज्तिमाउल विलादाति फ़ी शख्सिन मिन जिहातिं मुख़तलिफ़ति''* ग़रज़ हमारे वर्णन से वाज़ेह है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की पुत्री फ़ातिमा रज़ी० की संतान से हैं और यह विषय निश्चित है, चुनांचे शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस दहलवी और अल्लामा तफ़ताज़ानी के क़ौल से ज़ाहिर है, इस वजह से कि यही अम्र उलमा का सर्व मान्य है और अहादीसे मुतवातिरा से साबित हुवा है और बाक़ी उमूर यानि हसनी या हुसेनी होना ज़न्नी (काल्पनिक) है, उनका क़तई (निश्चित) होना महेदी अले० के पैदा होने पर निर्भर है। चूंकि महेदी अले० के नसब (गोत्र) से यह साबित है कि आप हुसेनी हैं तो वह हदीसें क़तई होगईं जिन में यह बयान किया गया है कि इमाम महेदी अले० हुसेन रज़ी० की संतान से हैं।

फ़स्ल: बाज़ लोगौं का ख़याल है कि महेदी अले० और ईसा अले० दो शख़्स नहीं बल्कि ईसा अले० ही महेदी हैं और इस ख़्याल पर इदीस *ला महेदी इल्ला ईसा* से इस्तिदलाल करते हैं। उसका जवाब जो मुल्ला अली अलक़ारी ने 'रिसालतुल महेदी' में ज़िकर किया है इस तरह है शेख़ मुहद्दिस इब्न क़ैइम से कुछ लोगौं ने सवाल किया कि हदीस *ला महेदी*

इल्ला ईसा उन हदीसौं के साथ जो महेदी अले० के प्रकट होने को साबित करती हैं क्या हज़रत महेदी अले० की शान में कोइ सही हदीस की रिवायत की गई है या नहीं। अल्लामा इब्न क़ैइम ने जवाब दिया कि हदीस ला महेदी इल्ला ईसा की रिवायत इब्न माजा ने अपने सुनन् में की है और रिवायत का क्रम यह है यूनुस बिन अब्दुल आला ने शाफ़ई से और शाफ़ई ने मुहम्मद बिन ख़लिद अल-जिन्दी से और मुहम्मद बिन ख़ालिद ने अबान बिन सालेह से और अबान बिन सालेह ने अनस बिन मालिक से और अनस बिन मालिक ने नबी सल्ला० से रिवायात की है। मुहम्मद बिन ख़ालिद इस रिवायत में अकेले है। मुहम्मद बिन अल-अस्नवी ने मनाक़िबे शाफ़ई में ज़िकर किया है कि मुहम्मद बिन ख़ालिद अज्ञात व्यक्ति हैं उनको अहले इल्म और अहले नक़ल ज़रा भी नहीं जानते हालांकि आँहज़रत सल्ला० से महेदी अले० के विषय मे अख़बारे मुतवातिरा रिवायत की गई हैं। इमाम बेहक़ी कहते हैं कि मुहम्मद बिन ख़ालिद अलग ही हैं और हाकिम कहते हैं कि यह अज्ञात हैं, उनके असनाद में भी इख़तिलाफ़ है क्योंकि यह अबान बिन सालेह हसन से रिवायत करते हैं और हसन ने रसूलुल्लाह सल्ला० से रिवायत की है, इस सूरत में यह हदीस होगी और महेदी की आने के विषय में जो हदीसें रिवायत की गइ हैं वह सहीहुल अस्नाद हैं।

उनके जवाब का हासिल यह है कि जब उस रिवायत के अस्नाद की यह हालत है तो उन अहादीसे सहीहा में जिन का तवातुर साबित है यह हदीस मतरूक होजाएगी। हमने तन्वीरूल हिदाया और शर्ह मकतूबे मुल्तानी में भी इस हदीस का ज़िकर किया है।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० की तालीम और इस्लाइ (संशोधन) अल्लाह जल्ल शानहु की वही और इल्हाम से है। इब्ने माजा और मस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया है कि महेदी हमारे अहले बैत से है अल्लाह तआला उसको एक रात में सलाह से मोसूफ़ करेगा। इस हदीस को मुल्ला अली अलक़ारी ने रिसालतुल महेदा में ज़िकर किया है और शेख़ुल मुहद्दिसीन जलालुक्षीन सुयूती ने रिसाला 'अल उरफ़ुल वर्दी' में इसकी रिवायत की है *"अन अबी सईद अनिन नबी सल्ला० क़ालाल् महेदी युस्लिहुल्लाहु फ़ी लैलतिन वाहिदतिन्''* । इस हदीस का अनुवाद वही है जो पहली हदीस का है मगर इस में अहले बैत का शब्द नहीं है। वाज़ेह हो कि एक रात में इस्लाह करने या सलाह से मौसूफ़ करने के यह माना हैं कि अल्लाह तआला महेदी अले० को फ़ज़ाइले सुवरी व मानवी (ज़ाहिरी और बातिनी प्रतिष्ठा) से बग़ैर मेहनत और मशक़्क़त के दफ़अतन (अचानक) मौसूफ़ फ़र्माएगा, इस लिये आप में जो कुछ कमालात और मलकात होंगे सब वहबी (अल्लाह की दी हुवी) होंगे। चुनांचे मुल्ला अली अलक़ारी ने रिसालतुल महेदी में यही माना बयान किये हैं एक रात में इस्लाह से यह मुराद है कि अल्लाह तआला आपको क़ुतुबियत और इज्तिहाद और ग़ौसियत का मर्तबा ख़ास जज़्ब से अता फ़र्माएगा। इस मर्तबे की अता आपकी जिद्दो जहद पर मौक़ूफ़ नहीं है, चुनांचे इसी तरह की इनायत से अल्लाह तआला ने आपके दादा यानि आँहज़रत सल्ला० को भी यही मरातिब अता फ़र्माया था क्योंकि अल्लाह तआला ने क़ुरआने मजीद में फ़र्माया है कि ''तुम नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज़ है लेकिन हमने क़ुरआन

को नूर बनाया है जिन बन्दौं को हम चाहते हैं उस से हिदायत करते हैं''। ग़र्ज़ *युस्लिहुल्लाहु फ़ी लैलतिन* के यह माना हैं कि महेदी अले० को जो कुछ मरातिब मिले हैं वहबी (ईश्वर दत्त) हैं और ख़ास जज़्बए इलाही से अता हुवे हैं।

इस हदीस से यह बात साबित होती है कि महेदी अले० की जो कुछ इस्लाह है ख़ास अल्लाह तआला की तालीम से है औस अल्लाह तआला ही आपका मुअल्लिम (शिक्षक) है। इस इदीस से इस अम्र की तरफ़ भी इशारा है कि आपको जिब्राईल के माध्यम से शिक्षा नहीं होगी और इस अम्र की तरफ़ भी इशारा है कि आप ख़ता से मासूम (प्राकृतिक निष्पाप) हैं, क्योंकि जिसका मुअल्लिम ख़ुदा हो और ख़ास अपने जज़्ब से उसकी तालीम की हो उस से ख़ता क्योंकर होगी। अगरचे आप की मासूमियत पर दूसरी सही हदीसें सराहतन् दलालत करती हैं मगर चूंकि यह हदीस भी आपकी मासूमियत की तरफ़ इशारा करती है इस लिये हम ने उसकी तौज़ीह करदी। वाज़ेह हो कि महेदी अले० इस वजह से कि आप ख़लीफ़तुल्लाह और ख़ातिमे दीन हैं मासूम अनिल ख़ता हैं, इस लिये हम इस बात के मोतक़द नहीं हैं कि महेदीए मौऊद अले० ग़ौस या क़ुतुब या मुज्तहिद हैं क्योंकि उनकी इस्मत अक़लन् साबित है ना नक़लन् इसलिये मुल्ला अली अलक़ारी के क़ौल से कि आप ग़ौस व क़ुतुब और मुज्तहिद हैं सख़्त इख़तिलाफ़ है।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० ख़लीफ़तुल्लाह हैं। इाकिम ने सोबान रज़ी० से रिवायत की है कि 'जब तुम उसको (महेदी को)

देखो तो उस से बैअत करो अगरचे कि तुम को उसके पास बर्फ़ से गुज़र कर जाना पड़े क्योंकि वह महेदी और अल्लाह तआला का ख़लीफ़ा है'। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मस्नद में रिवायत की है कि 'आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि जब तुम देखो कि ख़ुरासाँ से काले झंडे निकले हैं तो उनके पास जावो कि उनमें महेदी अल्लाह तआला का ख़लीफ़ा है'। इस हदीस से ज़ाहिर होता है कि महेदी अले० ख़ुरासाँ से आऐंगे और आपके साथ काले झंडे होंगे। इन दोनों हदीसौं को मुल्ला अली अलक़ारी ने 'रिसालतुल महेदी' में ज़िकर किया है। इब्ने माजा में भी यह हदीस रिवायत की गई है वह इन दोनों हदीसौं से मुफ़स्सल (सविस्तार) है मगर उसमें एक आध जुम्ला रह गया है, चुनांचे उस हदीस के रावी ने अपने ज़ोफ़े हाफ़िज़ा (स्मरण शक्ति की कमज़ोरी) का एतिज़ार (विवशता) करके कहता है कि रावी ने फिर एक बात कही जो मुझे याद नहीं है। हाकिम और अबू नईम ने अपनी अपनी किताबौं में यह हदीस पूरी लिखी है जिस से साबित होता है कि महेदी अले० न ख़ुरासाँ से आऐंगे और न काले झंडे आप के साथ रहेंगे। हम इस जगह उस रिवायत को लिखते हैं 'सौबान रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि तुम्हारे ख़ज़ाने यानि ख़िलाफ़त पर तीन शख़्स लड़ेंने उनमें हर ऐक ख़लीफ़ा का बेटा होगा और यह ख़ज़ाना किसी के हाथ नहीं आऐग, फिर काले झंडे पूरब की तरफ़ से किलेंगे। यह लोग तुम से ऐसा सख़्स लड़ेंगे कि कोई क़ौम तुम से इस तरह नहीं लड़ी, उसके बाद महेदी जो अल्लाह तआला का ख़लीफ़ा है आऐगा। जब तुम उस ख़लीफ़ा के पैदा होने की ख़बर सुनो तो उसके पास चले जाव और उस से बैअत करो अगरजे कि तुमको

बर्फ़ से गुज़र कर उसके पास जाना पड़े क्योंकि वोह अल्लाह तआला का ख़लीफ़ा महेदी है'। वाज़ेह हो कि इस हदीस में कई अम्र ज़िकर किये गये हैं। पहला अम्र यह है कि ख़िलाफ़त पर कई लड़ाइयाँ होंगी और ख़िलाफ़त हासिल नहीं होगी। दूसरा अम्र यह है कि उस लड़ाई के बाद पूरब की तरफ़ से काले झंडे वाले लोग निकलेंगे और उनकी तुमसे यानि मुसलमानौं से सख़्त लड़ाई होगी और वोह लोग मुसलमानौं को इतना क़तल करेंगे कि किसी क़ौम ने मुसलमानौं को उतना क़तल नहीं किया है, यह लड़ाई पहली लड़ाइयौं के बाद होगी क्योंकि उन दोनों के दरमियान आँहज़रत सल्ला० ने लफ़्ज़ *सुम्म* कहा है और *सुम्म* ताख़ीर (विलंब) पर दलालत करता है। पस दोनों लड़ाइयौं में ताख़ीर होनी ज़रूरी है। इसी हदीस को इब्ने माजा ने अपने सुनन् में लिखा है और हज़रत सौबान रज़ी० से ही रिवायत की है लेकिन इस हदीस में 'पूरब की तरफ़ से' की जगह 'ख़ुरासाँ की तरफ़ से' कहा गया है। मालूम होता है कि दोनों का मतलब क़रीब क़रीब है क्योंकि ख़ुरासाँ भी पूरवी देशौं में दाख़िल है। वर्णन चाहे कुछ भी हो, काले झंडे पूरब से निकलेंगे या ख़ुरसाँ से, उनके निकलने का ज़माना पहली लड़ाइयौं के बाद है। तीसरा अम्र यह है कि उन दोनों लड़ाइयौं के बाद महेदी अले० के जन्म की सूचना दी गई है क्योंकि दूसरी लड़ाई और महेदी के आने के दरमियान भी शब्द *सुम्म* मौजूद है। पस दूसरी लड़ाई और महेदी के आने में समय का अन्तर होना ज़रूरी है। इस सूरत में यह ख़याल करना बातिल है कि काले झंडे महेदी अले० के साथ रहेंगे या महेदी अले० ख़ुरासाँ या पूरब से निकलेंगे क्योंकि इस हदीस में स्पष्ट रूप से यह सूचना दी गई है कि काले झंडे निकलने

और मुसलमानौं से उनकी लड़ाई होने के बाद महेदी अले० का ज़हूर होगा, फिर काले झंडे महेदी अले० के साथ किस तरह रहेंगे और महेदी अले० पूरब यह ख़ुरासाँ की तरफ़ से किस तरह निकलेंगे।

वाज़ेह हो कि बड़े बड़े उलमा ने इस हदीस में ग़ौर नहीं किया और ज़बरदस्ती यह कह दिया कि महेदी अले० पूरब या ख़ुरासाँ से आऐंगे और आप के साथ काले झंडे रहेंगे और बाज़ लोगौं ने काले झंडौं से यह धोका खाया कि वह काले झंडे इस बात का संकेत हैं कि महेदी अले० बनी अब्बास की संतान से हैं। मगर यह हदीस जिसका हम ने विस्तार पूर्वक बयान किया है अफ़सोस है कि उन उलमा ने उन हदीसौं में भी ग़ौर नहीं किया जिन से महेदी अले० का फ़ातिमा रज़ी० की संतान से होना साबित है और उनही हदीसौं की वजह से उलमा ने इत्तफ़ाक़ किया है कि महेदी अले० फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी० की संतान से हैं, चुनांचे उन अक़वाल का पहले ज़िकर किया गया है।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० ख़ातिमे दीने रसूल सल्ला० हैं। तब्रानी ने औसत मे रिवायत की है कि 'अली रज़ी० ने आँहज़रत सल्ला० से पूछा कि महेदी अले० हमारी औलद से हैं या हमारे ग़ैर से आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि हमारी औलाद से हैं, उसपर अल्लाह तआला उस काम को ख़तम फ़र्माएगा जिसका आग़ाज़ हम से हुआ है और हमीं से शिर्क से नजात पाऐंगे और हमीं से फ़ितने की अदावत के बाद लोगौं के दिलौं में उल्फ़त (प्रेम) होजाएगी जिस तरह कि शिर्क की अदावत (शत्रुता) के बाद दिलौं में चाहत पैदा हुई। इस हदीस को

मुल्ला अली अलक़ारी ने 'रिसालतुल महेदी' मे ज़िकर किया है। शेख़ जलालुद्दीन सुयूती ने 'अल उरफ़ुल वर्दी में नईम बिन हम्माद और अबू नईम से तख़रीज (व्यत्पन्न) की है कि अली रज़ी० ने रसूलुल्लाह सल्ला० से पूछा कि महेदी हमारी औलाद से हैं या हमारे ग़ैर से, आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि हमारी औलाद से है, उस पर अल्लाह तआला दीन को ख़तम फ़र्माएगा जैसा कि हमारे दीन को हम से शुरू किया है और फ़ित्ने (उपद्रव) से मुक्ति पाऐंगे जैसा कि शिर्क से मुक्ति पाए हैं और शिर्क की अदावत के बाद अल्लाह तआला हमारे ज़रीऐ लोगौं के दिलौं में उल्फ़त पैदा करदेगा और फ़ित्ने की अदावत के बाद हमारे ज़रीए वे भाई हो जाऐंगे जैसा कि शिर्क की अदावत के बाद वे दीन में भाई होगये।

इस हदीस के शब्द और पहली हदीस के शब्दौं में ज़ियादा इख़तिलाफ़ नहीं है मगर बाज़ शब्दौं का फ़र्क़ है। पहला यह है कि पहली हदीस में *''यख़तिमुल्लाहु बिहि''* है और दूसरी हदीस में *यख़्तिमुल्लाहु विहिद - दीन* है उसका यह अर्थ है कि अल्लाह जल्ला शानहु महेदी अले० पर दीन को ख़तम करदेगा मगर अल्फ़ाज़ *कमा फ़ुतिह बिना* से यही मालूम होता है कि *यख़तिमु* (ख़तम करेगा) और *फ़ुतिह* (शुरू किया) का मफ़ऊल (कर्म) दीन का शब्द ही है क्योंकि आँहज़रत सल्ला० से जिस चीज़ का आग़ाज़ (आरंभ) हुवा है वह नया दीन ही है जो पिछले अदयान (धर्मों) का नासिख़ (उत्सादक) है, पस *यख़तिमु* का भी यही शब्द दीन मफ़ऊल है। इस सूरत में पहली हदीस के अलफ़ाज़ के यह माना हैं कि रसूलुल्लाह सल्ला० से इस्लाम धर्म

आरंभ हुवा है और महेदी अले० पर इस्लाम धर्म का अंजाम (पूर्ति) होगा चूंकि महेदी अले० इब्ने रसूल सल्ला० हैं। आँहज़रत सल्ला० ने दीन के आरंभ और पूर्ति को अपनी तरफ़ मन्सूब (संबंधित) फ़र्माया है। चुनांचे उस हदीस के यह अल्फ़ाज़ हैं *बल् मिन्ना यख़तिमुल्लाह बिहि कमा फ़ुतिह बिना।* इस से आँहज़रत सल्ला० और महेदी अले० में कमाले इत्तिहाद (पूर्ण एकता) मालूम होता है और यह इस कारण है कि महेदी मौऊद अले० फ़ातिमा रज़ी० की संतान से हैं, क्योंकि इख़्तितामे दीन (धर्म की पूर्ति) जो महेदी अले० का मंसब (पद) है उस मंसब को आँहज़रत सल्ला० ने अपनी तरफ़ मंसूब फ़र्माया है। सारांश यह है कि उन हदीसौं से साबित है कि महेदी अले० ख़ातिमे दीने इस्लाम (इस्लाम धर्म के पूर्ण कर्ता) हैं। यह विषय कि हज़रत महेदी अले० ने इस्लाम के किन अहकाम को बयान करके दीन का इख़तिताम फ़र्माया है उसको हम आगामी अध्याय में बयान करेंगे।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० का दावा-ए-महेदियत साधारण मनुष्यों पर होगा। वाज़ेह हो कि इस विषय को चंद हदीसें प्रमाणित करती हैं। पहली यह कि अबूदाऊद ने अपनी सुनन् में और हाकिम ने मुस्तद्रक में रिवायत की है कि 'आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया है कि महेदी अले० मेरी संतान से है, उसकी मस्तक उज्वल, नाक ऊँची है, वोह ज़मीन को न्याय से भरदेगा जैसा कि वह अत्याचार से भरी हुवी थी। वाज़ेह हो कि 'ज़मीन को न्याय से भरदेगा' इस बात का संकेत है कि महेदी अले० का दावा आम होगा क्योंकि न्याय को धरती पर फैलाने का यह अर्थ है कि महेदी अले० सामान्य रूप से आम मनुष्यों में उन आदेशौं की हिदायत

फ़र्माऐंगे जो उनके गुमराही से बचने का कारण होंगे वर्ना धरती पर न्याय का फैलना संभव नहीं है। दूसरा कारण यह है कि मुल्ला अली अलक़ारी ने ''रिसालतुल महेदी'' में रिवायात की है कि ''इब्ने अब्बास रज़ी० से मरफ़ूअन् यह रिवायत है कि यह उम्मत हलाक नहीं होगी क्योंकि मैं उम्मत के प्रथम हूँ और ईसा उम्मत के अंत में और महेदी उम्मत के मध्य में है। इस हदीस से इस बात का संकेत मिलता है कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्ला० तमाम इन्सानों की हिदायत (अनुदेश) के लिये भेजे गये हैं उसी तरह महेदी अले० और ईसा अले० भी तमाम इन्सानों के निदेश और उनको हलाकत से बचाने के लिये भेजे जाऐंगे। ग़रज़ इन दोनों हदीसों का हासिल (निष्कर्ष) यही है कि महेदी अले० की दावत आम इन्सानों पर है।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० का पैदा होना ज़रूरियाते दीन से है और उसकी कई वजहें (हेतु) हैं। पहली यह है कि महेदी की ख़बर ख़बरे मुग़य्यब (ईश्वरीय गुप्त सूचना) है और जो गुप्त सूचना सत्यवादी सूचक यानि आँहज़रत सल्ला० ने बयान की है उसका धठित होना ज़रूरी (अनिवार्य) है क्योंकि अगर वह सूचना घठित नहीं होगी तो किज़्ब (असत्य) लाज़िम आएगा चुनांचे सच्चे सूचक से जो कि ख़ता से मासूम (अचूक) हैं और *मायंतिक़ु अनिल हवा* जिसकी शान है झूट असंभव है तो उस गुप्त सूचना का घठित होना ज़रूरी है। दूसरी वजह यह है कि आँहज़रत सल्ला० के वचन से साबित है कि महेदी अले० उम्मत को नष्ट होने से बचाने वाले हैं इस लिये जो शख़्स दाफ़ेअ हलाकते उम्मत (उम्मत को नष्ट होने से रोकने वाला) हो उसका पैदा होना ज़रूरी है क्योंकि

अगर ऐसा शख़्स पैदा नहोगा तो उस के दो परिणाम होंगे। पहला गुप्त सूचना का घठित न होना और उस सूचना के घठित न होने से सच्चे सूचक की असत्यता ज़ाहिर होगी, दूसारा परिणाम उम्मत की हलाकत है जिसको रोकना ज़रूरी है, इस लिये महेदी अले० का जनम लेना ज़रूरी है। तीसरी वजह यह है कि महेदी अले० ख़ातिमे दीने रसूलुल्लाह है और जो शख़्स रसूलुल्लाह सल्ला० के धर्म को पूर्ण करने वाला है उसका वजूद ज़रूरी है। इस लिये महेदी अले० का वजूद ज़रूरी है चौथी वजह यह है कि मुल्ला अली अलक़ारी ने रिसालतुल महेदी में ज़िकर किया है कि 'आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया है कि दुनिया उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि एक शख़्स मेरी उम्मत से मालिक न हो जाए जो मेरी अहले बैत से और मेरा हम नाम (सम नाम) है और दूसरी रिवायत में है कि उसका ख़ुल्क़ (चरित्र) मेरा ख़ुल्क़ है। मुल्ला अली अलक़ारी कहते हैं कि ख़लक़ को स्वर 'उ' और 'अ' से पढ़ने का संदेह है। वल्लाहु आलमु। इस हदीस को अहमद बिन हंबल, अबूदाऊद और तिरमिज़ी ने इब्ने मसऊद रज़ी० से रिवायत की है। तिरमिज़ी की एक सही रिवायत में शब्द *'यम्लिकु'* की जगह *'यली'* है यानि मेरी अहले बैत से एक शख़्स उम्मत का वाली (स्वामी) होगा जो मेरा समनाम है, अगर दुनिया का एक दिन भी बाक़ी रहेगा तो उसको अल्लाह तआला इतना लम्बा करेगा कि उस दिन मे वह वाली होजाए। इस हदीस के शब्दों से यह अर्थ स्पष्ट है कि महेदी अले० के पैदा होने तक दुनिया समाप्त नहीं होगी बल्कि आप के पैदा होने के बाद जब अल्लाह चाहेगा दुनिया का अंत होजाएगा। इस हदीस से स्पष्ट है कि आप का जन्म लेना ज़रूरी है।

इस हदीस से बाज़ उलमा ने दो विषय ग्रहण किये हैं। यहला यह है कि महेदी अले० दुनिया के अंतिम दिनौं मे जन्म लेंगे। दूसरा यह है कि महेदी अले० बादशाह होंगे। पहले विषय का उत्तर यह है कि यह हदीस प्रमाणित करती है कि महेदी अले० की बेसत (प्रति निधित्व) ज़रूरी है और अगर अस का यह अर्थ लिया जाए कि महेदी अले० दुनिया के अंतिम दिनौं में जन्म लेंगे तो यह अर्थ बाज़ सही हदीसों से विपरीत है क्योंकि आँहज़रत सल्ला० ने यह भी फ़र्माया है कि मैं उम्मत के प्रारंभ में हूँ और ईसा अले० उम्मत के अंत में हैं और महेदी अले० उम्मत के बीच में हैं, जैसा कि मिश्कात शरीफ़ में रिवायत है *कैफ़ तहलिकु उम्मती अना फ़ी अव्वलिहा व ईसा फ़ी आख़रिहा वल - मेहदी मिन अहले बैती फ़ी वसतिहा*। इस हदीस से स्पष्ट है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की उम्मत के बीच में हैं और ईसा अले० उम्मत के अंत में हैं। अगर महेदी अले० उम्मत के अंत में होंगे तो यह कथन अवश्य परस्पर - विरोधी होगा। अगर यह आपत्ति की जाए कि बाज़ हदीसौं से यह साबित हुवा कि ईसा अले० और महेदी अले० एक युग में होंगे और दज्जाल को नष्ट करने में आप की सहायता करेंगे, तब उपर्युत्क हदीस और इन हदीसौं में अनुकूलता होजाएगी और इदीस *''कैफ़ तहलुक उम्मती''* ग़रीब (कमज़ोर) हो जाएगी। चूंकि उत्क हदीस दूसरी हदीसौं के अनुकूल होजाती है इसलिये क़वी (पुष्ट) होजाएगी और हदीस *कैफ़ तहलुक* चूंकि ग़रीब है इन हदीसौं की तुलना में ज़ईफ़ (आशत्क) समझी जाएगी। उस (आपत्ति) का उत्तर यह है कि महेदी अले० और ईस अले० का एक युग में होना बातिल (असत्य) है क्योंकि जब यह दोनों अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं तो उन दोनों

से रसूलुल्लाह सल्ला० की उम्मत को बैअत करना फ़र्ज़ है लेकिन रसूलुल्लाह सल्ला० के बाद दो ख़लीफ़ौं का एक समय में जमा होना बातिल है चुनांचे आपने फ़र्माया है कि 'जब दो ख़लीफ़े बैअत लेने लगें तो उनमें से एक को क़तल करदो।' अतः दो ख़लीफ़ौ का एक युग में होना बातिल है और अक़्लन् (प्रज्ञानुसार) भी दो ऐसे ख़लीफ़ौं की एक समय में मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है जो दृढ़ शासक हों क्योंकि उन दोनों की दावत संयुत्क होगी या न होगी। अगर संयुत्क होगी तो एक ख़लीफ़ा बेकार (व्यर्थ) है और अगर संयुत्क नहीं होगी तो दोनों के आदेशौं का एक समय में पालन करने से उम्मत विवश रहेगी, इसलिये किसी से उनके विभिन्न आदेशौं का प्रतिपालन नहोसकेगा। इस से साबित है कि बाज़ हदीसें जो यह प्रमाणित करती हैं कि महेदी अले० और ईसा अले० एक ही युग मे होंगे ज़ईफ़ हैं और रिवायत और दिरायत (वर्णन और ज्ञान) के विपरीत हैं अतः हदीस *कैफ़ तहलुक* सही और क़वी है। दूसरे विषय का उत्तर यह है कि *यमलिकु रजुलुन्* का यह अर्थ है कि एक शख़्स उनका हाकिम (शासक) होगा यानि दुनिया वालौं को अल्लाह तआला का आज्ञ पालन करने का आदेश देगा और उनको अवज्ञा से बचाएगा, और *यली रजुलुन्* का यह अर्थ है कि एक शख़्स उनकी हिदायत (निदेश) का वाली (स्वामी) होगा। सारांश यह है कि हुकूमत (शासन) और विलायत के लिये राष्ट्र और अध्यक्षता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब अम्बिया अले० अल्लाह की ओर से निदेशित कार्य करने और निषेधित कार्य से बचने का आदेश देने वाले और दीक्षा के संरक्षक हैं मगर राजा और अध्यक्ष नहीं हैं। आँहज़रत सल्ला० जिनकी दावत तमाम इन्सानौं और जिन्नात

पर है और आप वस्तुतः दीन और दुन्या के मालिक और वाली हैं मगर आप भी राजा नहीं है। इसी तरह इमाम महेदी अले० भी दीन और दुन्या के मालिक और वाली हैं मगर आप भी राजा नहीं हैं। चूंकि महेदी अले० अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं हाकिम और वाली हैं क्योंकि अल्लाह का ख़लीफ़ा ही अल्लाह तआला के बंदों का हाकिम और वाली होगा और ख़िलाफ़ते हलाही ही हक़ीक़ी हुकूमत और विलायत है। जिन लोगों ने उस हुकूमत और विलायत से हुकूमते ज़हिरी यानि सलत्नत मुराद ली है सोच विचार नहीं किया है।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० से अफ़ज़ल (सर्वोच्च) हैं। वाज़ेह हो कि महेदी अले० का अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० से अफ़ज़ल होना कई वजह से साबित है। पहली वजह यह है कि महेदी अले० का मुअल्लिम (शिक्षक) और मुसलेह (सुधारक) ख़ुद अल्लाह जल्ल शानहु है चुनांचे हदीस *युसलिहुल्लाहु फ़ी लैलतिन्* इसी बात को प्रमाणित करती है। दूसरी वजह यह है कि महेदी अले० अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं चुनांचे हदीसे सोबाना रज़ी० से यही बात ज़ाहिर है। तीसरी वजह यह है कि आँहज़रत सल्ला० ने अपने और महेदी अले० और ईसा अले० के हक़ में निर्दिष्ट किया है कि हम सब उम्मत को हलाकत से बचाने वाले रक्षक हैं। चौथी वजह यह है कि महेदी अले० ख़ातिमे दीन (दीन का पूर्ण कर्ता) हैं चुनांचे *यख़तिमुल्लाहु बिहिद्दीन* से यही स्पष्ट होता है। पांचवीं वजह यह है कि महेदी अले० मासूम (अचूक) हैं चुनांचे हदीसे सोबान रज़ी० से जिसमें यह ज़िक्र किया गया है कि 'वेशक वह अल्लाह का ख़लीफ़ा महेदी है' यही

ज़ाहिर है। छटी वजह यह है कि महेदी अले० साहबे दावत हैं। सातवीं वजह यह है कि महेदी की दावत (निमंत्रण) सब के लिये है चुनांचे हदीस 'ज़मीन को न्याय से भरदेगा' इसी को प्रमाणित करती है। इस लिये जिसका शिक्षक ख़ुदा है वह उस से अफ़ज़ल है जिसका शिक्षक ख़ुदा का रसूल है और जो स्थायी रूप मे उम्मत को हलाकत से बचाने वाला है वह उस से अफ़ज़ल है जिस के लिये ऐसा निर्दिष्ट नहीं किया गया है और जो शख़्स अल्लाह का ख़लीफ़ा है वह उस से उफ़ज़ल है जो रसूलुल्लाह सल्ला० का ख़लीफ़ा है और जो ख़ातिमे दीन है वह उस से अफ़ज़ल है जो ख़ातिमे दीन नहीं हौ और जो मासूम है वह उस से अफ़ज़ल है जो मासूम नहीं है और जो शख़्स साहबे दावत है वोह उस से अफ़ज़ल है जो साहबे दावत नहीं है। मतलब यह है कि कथित प्रतिष्ठाओं से महेदी अले० विशेष्य हैं और इन ही उत्तम प्रतिष्ठाओं के कारण आप अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० से अफ़ज़ल हैं।

मुल्ला अली अलक़ारी ने रिसालतुल महेदी में ज़िक्र किया है 'महेदी की शान में ख़लीफ़ तुल्लाह का शब्द जो हदीस शरीफ़ में रिवायत किया गया है आप की प्रतिष्ठा और उच्च स्थान का प्रभाण है और शब्द ख़लीफ़तुल्लाह आप के सम्मान में उस शब्द ख़लीफ़ा से ज़ियादा स्पष्ट है जो अल्लाह जल्ल शानहु ने आदम अले० और दाऊद अले० के विषय में फ़र्माया है। सारांश यह है कि यह बहुत बड़ी मन्क़बत (वदंना) है और ख़लीफ़तुल्लाह होने की वजह से महेदी अले० अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० से अफ़ज़ल हैं क्योंकि अबू बक्र सिद्दीक़

रज़ी० रसूलुल्लाह सल्ला० के ख़लीफ़ा हैं अल्लाह के ख़लीफ़ा नहीं हैं।' वाज़ेह हो कि मुल्ला अली अलक़ारी ने जो यह विस्तृत रूप से बयान किया है कि शब्द ख़लीफ़-तुल्लाह से महेदी की शान ज़ियादा स्पष्ट है जब कि हज़रत आदम अले० और हज़रत दाऊद अले० की शान में उतना स्पष्ट नहीं है, उसकी वजह यह है कि आदम अले० की शान में आयत *इन्नी जाइलुन् फ़िल अरज़ि* से ख़िलाफ़त साबित होती है और उस में यह विवरण नहीं है कि आदम अले० अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं क्योंकि मुम्किन है कि उस ख़लीफ़ा का यह अर्थ लिया जाय कि आदम अले० ज़मीन के हाकिम हैं और दाऊद अलं० की शान में भी ख़लीफ़ा का शब्द जो उपयोग हुवा है उसका अर्थ भी यही है मगर महेदी अले० की शान में शब्द ख़लीफ़ा का जो उपयोग हुवा है उस में संदेह नहीं है क्योंकि आप की शान में शब्द ख़लीफ़ा ही नहीं कहा गया है बल्कि ख़लीफ़तुल्लाह कहा गया है, ज़ाहिर है कि उसका यही अर्थ है कि महेदी अले० अल्लाह जल्ल शानहु के ख़लीफ़ा हैं इस लिये उस शब्द से यह संदेह नहीं होसकता कि महेदी अले० ज़मीन के हाकिम हैं।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० की इत्तिबाअ (अनुकरण) फ़र्ज़ है और उसकी कई बजहें हैं। पहली वजह यह है कि महेदी अले० अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं और जो शख़्स ख़लीफ़तुल्लाह है उसकी इत्तिबाह फ़र्ज़ है इस लिये महेदी अले० की इत्तिबाअ फ़र्ज़ है। दूसरी वजह यह है कि मसन्द अबू नईम में इब्ने उमर रज़ी० से रिवयात की गयी है कि आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया कि महेदी निकलेगा और उसके सर पर एक फ़िरिश्ता यह आवाज़ देगा कि यह महेदी है उसकी इत्तिबाअ करो।

इस हदीस को मुल्ला अली अलक़ारी ने रिसालतुल महेदी में और शेख़ जलालुद्दीन सयूती ने 'अल उरफ़ुल वर्दी में यह रिवायत लिखी है। अबू नईम ने दूसरी रिवायत में जो इब्ने उमर रज़ी० से की है शब्द *मलिक* (फ़िरिश्ता) की जगह *ग़मामा* (बादल का टुकड़ा) लिखा है, और हदीसे सोबान रज़ी० में जो पहले लिखी जाचुकी है आँहज़रत सल्ला० ने फ़र्माया है 'तुम उस (महेदी) के हाथ पर बैअत करो अगरचे बर्फ़ पर से रेंगते जाना पड़े क्योंकि वोह महेदी अल्लाह का ख़लीफ़ा है। इन दोनों हदीसौं में आँहज़रत सल्ला० ने उम्मत को आदेशात्मक रूप में संबोधित किया है और उस उम्मत से वही लोग मुराद हैं जिन में महेदी अले० आऐंगे। उस आम उम्मत को आँहज़रत सल्ला० ने यह फ़र्माया है कि उस महेदी अले० की इत्तिबाअ करो और आपके हाथ पर बैअत करो अगर उसके ज़माने में मौजूद हो। अगर उसके ज़माने में मौजूद नहो तो भी उसकी इत्तिबाअ करो और हदीसे सोबान रज़ी० में उस इत्तिबाअ की ख़ुद यह वजह बताइ है कि महेदी अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं इस लिये आपकी इत्तिबाअ फ़र्ज़ है। तीसरी वजह यह है कि महेदी अले० उम्मत को हलाकत से बचाने वाले हैं और जो हलाकत से रक्षा करने वाला (उद्धारक) हो उसकी इत्तिबाअ फ़र्ज़ है इस लिये महेदी अले० की इत्तिबाअ फ़र्ज़ है। चौथी वजह यह है कि महेदी अले० ख़ातिमे दीने रसूलुल्लाह सल्ला० हैं और ख़ातिम (पूर्णकर्ता) की इत्तिबाअ फ़र्ज़ है क्योंकि अगर उसकी इत्बिाअ फ़र्ज़ नहोगी तो वोह अहकाम निरर्थक हो जाऐंगे जिन से इख़तितामे दीन (धर्म की पूर्ती) हुवा है। ग़र्ज़ उपरयुत्क हदीसों से यह विषय साबित है कि इमाम महेदी की इत्तिबाअ फ़र्ज़ है।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० मौजूदा अहकाम (वर्तमान आदेशों) के अलावा जदीद (नये) अहकाम की दावत भी फ़र्माऐंगे। इस विषय में जो हदीसें ज़िक्र की गई हैं उनमें बाज़ हदीसें जो इस अर्थ को प्रमाणित करती हैं ज़िक्र की जाती हैं। पहली हदीस यह है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया है कि अगर दुन्या समाप्त होने में एक दिन भी बाक़ी रहेगा तो अल्लाह तआला उस दिन को इतना लम्बा करेगा कि उस दिन में महेदी अले० पैदा होजाऐं। इस हदीस की रिवायत अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने की है। दूसरी हदीस यह है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया है कि महेदी अले० ख़ातिमे दीन हैं। इस हदीस की रिवायत तब्रानी ने की है। तीसरी हदीस से मालूम होता है कि महेदी अले० अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं। इस हदीस की रिवायत इब्ने माजा ने की है और इसी हदीस में आँहज़रत सल्ला० ने अपनी उम्मत को ख़िताब करके फ़र्माया है कि 'तुम उसके हाथ पर बैअत करो अगर चे बर्फ़ पर से रेंगते जाना पड़े', और इब्ने उमर रज़ी० की रिवायत से मालूम होता है कि आँहज़रत सल्ला० ने अपनी उम्मत को 'उसकी इत्तिबाअ करो' का आदेश दिया है।

पहली हदीस में यह संकेत है कि महेदी अले० के ज़िम्मे अल्लाह जल्ल शानहु ने इसलाम धर्म की कोई ऐसी महत्व पूर्ण और ख़ास ख़िदमत रखी है कि उस महत्व पूर्ण ज़िम्मेदारी को पूर किये बग़ैर दुन्या का अंत संभव नहीं है, मगर उस हदीस से यह नहीं मालूम होता है कि वोह क्या सेवा है जिसके पहले दुन्या समाप्त नहीं हो सकती। उस सेवा की स्पष्टता ख़ुद आँहज़रत सल्ला० ने दूसरी हदीस

में फ़र्माइ और वोह यह है कि महेदी अले० ख़ातिमे दीन (धर्म के पूर्णकर्ता) हैं और इस्लाम धर्म की पूर्ति आप की ख़िदमत है। स्पष्ट है कि ख़ातिमे दीन शब्द से यह विषय भी प्रमाणित होता है कि महेदी अले० दीन की पूर्ति उन बाज़ अहकाम के प्रचार से करेंगे जिनका प्रचार सामान्य रूप से आँहज़रत सल्ला० ने अपने ज़माने में फ़र्ज़ और वाजिब की तरह नहीं किया था, क्योंकि अगर महेदी अले० का किसी नये हुक्म का प्रचार न करना और मौजूदा अहकाम का ही प्रचार करना रसूलुल्लाह सल्ला० को मालूम होता और आप को ख़ुदा से यही मालूम होता तो आप यह नहीं फ़र्माते कि महेदी अले० ख़ातिमे दीन हैं बल्कि आप यह फ़र्माते कि महेदी अले० नासिरे दीन (धर्म के सहायक) हैं यानि आप यह नहीं फ़र्माते कि 'अल्लाह उनसे दीन को पूरा करेगा' बल्कि यह फ़र्माति कि 'अल्लाह उन से दीन की सहायता करेगा' जब आँहज़रत सल्ला० ने *यख़्तिमुल्लाहु बिहिद्दीन* फ़र्माया है तो उसका अर्थ यही होगा कि महेदी अले० नये अहकाम के प्रचार से इस्लाम धर्म की पूर्ति करेंगे। उन नये अहकाम का प्रचार जो महेदी अले० का मुख्य कार्य है महेदी अले० की बेसत (आने) का कारण है। उन नये अहकाम का ज्ञान महेदी अले० को नयी वही द्वारा नहीं है बल्कि उनका मूल आधार क़ुरआने मजीद है। यह सब अहकाम (उपदेश) क़ुरआने मजीद में मौजूद हैं लेकिन उनकी फ़र्ज़ियत और वजूबियत की शिक्षा आपको अल्लाह की जानिब से हुवा करेगी और आप उन अहकाम का प्रचार फ़र्ज़ और वाजिब (धार्मिक कर्तव्य) के रूप में करेंगे। आयत *'अलयौम अकमल्तु तकुम दीनुकुम व अत्मम्तु अलैकुम नेअमती'* का यह अर्थ है कि अल्लाह तआला ने दीने इस्लाम के सब

अहकाम उतार दिये और अपनी नेमत पूरी करदी यानि तन्ज़ील की जेहत से दीन की पूर्ति होगयी अब उसके बाद कोई नया उपदेश नाज़िल नहीं होगा। यह विषय स्पष्ट है कि अहकमा पूरी तरह नाज़िल होजाने पर यह ज़रूरी नहीं कि सामान्य रूप से अनका प्रचार भी होगया है, इस लिये आँहज़रत सल्ला० ने नाज़िल किये गये अहकाम में से उनही अहकाम का प्रचार सामान्य रूप से किया जिनके प्रचार का ज्ञान आपको अल्लाह तआला से हुवा और नाज़िल किये गये जिन अहकाम का सामान्य प्रचार करने का अधिकार अल्लाह तआला ने महेदी अले० को दिया था उनका प्रचार महेदी अले० के ज़िम्मे करदी और महेदी अले० की बेसत की उम्मत को बशारत (शुभ सूचना) देदी और फ़र्माया कि महेदी अले० ख़तिमे दीन है यानि इस्लाम धर्म के अहकाम की पूर्ति उसी की ज़ात से होगी।

दूसरा बाब

महेदी अले० के आने के बयान में

फ़स्ल: महेदी अले० के ज़ुहूर (प्रकटन) के बयान में। सही अहादीस में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि महेदी अले० का ज़ुहूर किसी ख़ास ज़माने में होगा बल्कि प्रमुख उलमा इस बात पर सहमत हैं कि अल्लाह जल्ल शानहु जब चाहेगा महेदी अले० को पैदा करेगा चुनांचे हमने पहले बाब में उस क़ौल को नक़ल किया है और उसके यह शब्द हैं *फ़ज़हबल उलमा इला अन्नहु इमामुन् आदिलुन् मिन वलदि फ़ातिमा रज़ी० यख़लुख़ुहुल्लाहु तआला मता शाअ व यबअसुहु नुसरतन् लि दीनिहि'* यानि पूर्व उलमा सहमत हैं कि महेदी अले० इमाम आदिल ओर फ़ातिमा रज़ी० की संतान से है उसको अल्लाह जब चाहेगा पैदा करेगा और नुसरते दीन के लिये उसकी बेसत होगी। अर्थात महेदी अले० के ज़ुहूर का कोई ख़ास ज़माना नहीं है। वाज़ेह हो कि हमको इस क़ौल के अख़ीर जुमले में बहस है और वोह यह है कि महेदी अले० अगर चे नासिरे दीन हैं मगर आपक केवल इसी सेवा पर नियुत्क नहीं हैं बल्कि आप नासिरे दीन होने के अलावा ख़ातिमे दीन भी हैं चुनांचे हम ने पहले बाब में उस हदीस का विस्तार पूर्वक विवरण दिया है क्योंकि अगर आप केवल नासिरे दीन होते तो आँहज़रत सल्ला० आप की शान में *'यन्सिरूल्लाहु बिहिद्दीन'* फ़र्माते *यख़तिमुल्लाहु बिहिद्दीन* नहीं फ़र्माते। हमने अगली फ़स्ल में भी यह बहस की है।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० मबऊस हुवे और अपनी महेदियत की दावत की। इमाम अले० का शुभ नाम सय्यद मुहम्मद है और आपका जन्मस्थान जोनपूर है जो भारत के प्रसिद्ध नगरौं में से है। आप का जनम ८४७ हिज्री मे हुवा। आपके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माताजी का नाम आमिना है। आपका वशंक्रम हज़रत इमाम हुसेन रज़ी० तक पहुंचता है और 'अल अक़ाइद' के दूसरे भाग में हमने आप की वंशावली की चर्चा की है। आपके जन्म के समय बहुत से अद्भुत घटनाऐं प्रकट हुवे जिनका विस्तारूपूर्वक विवरण जीवन-चरित्र की पुस्तकौं में दिया गया है। आप के जन्म के समय जोनपूर नगर के लोगौं ने हर जगह और हर मुहल्ले में यह आवाज़ सुनी *'जा अल हक़्क़ व ज़हक़ल् बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा*। शेख़ दानियाल रहे० ने जो उस समय के वरिष्ठ विद्यावान् थे जब यह आवाज़ सुनी तो हैरान होगये और मुन्तज़िर थे कि क्या सूचना मिलती है, उसके कुछ देर बाद सय्यद अब्दुल्लाह ने आपको यह सूचना दी कि मेरे घर बालक पैदा हुवा है और उस बालक की *अद्भुत* घटनाऐं हैं, उस बालक के जन्म के समय उसके दोनों हाथ शर्मगाह को छिपाए हुवे थे, उस बालक पर मक्खी नहीं बैठती और उसके रोने में एक ख़ास जज़्ब (आकर्षण) है। शेख़ चूंकि मुह दिस थे उन वाक़ेआत को सुनकर आश्चरित हुवे और समझ गये कि यह बालक महेदी-ए-मौऊद (प्रतिज्ञात महेदी) है।

बचपन से ही आप रसूलुल्लाह सल्ला० की शरीअत के ताबेअ (अनुयायी) थे, आपके हर कथन और कर्म से रसूलुल्लाह सल्ला० का

अनुसरण ज़ाहिर होता था। आपका चरित्र वही ता जो आँहज़रत सल्ला० का चरित्र था। कमसिनी में आप अल्लाह तआला की कृपा से एक मुतबह्हिर आलिम (उच्च विद्वान) होगये थे यहाँ तक कि उस समय के उलमा ने आप को 'असदुल उलमा' का ख़िताब दिया था। आपको अल्लाह की इबादत में इस्तिग़राक़ (निमग्नता) रहता था और इस जगत की आपको सुध नहीं थी। नमाज़ के समय आप होश में आते और वज़ू करके नमाज़ अदा करने के बाद फिर आप निमग्नता में रहते थे, बारह वर्ष तक आप निमग्न रहे और उस ज़माने में आपका आहार बहुत कम था। जब आपकी उम्र चालीस वर्ष की हुवी तो आपने अल्लाह तआला के आदेशानुसार महेदियत का दावा किया। जब आपने महेदियत के दावे की घोषना की तब आप साहबे अक़्ल व शऊर थे।

फ़स्ल: महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० के ताबेअ (अनुयायी) होने के बयाान में। महेदी अले० ने फ़र्माया है कि 'में अल्लाह तआला का बन्दा और रसूलुल्लाह सल्ला० का ताबेअ हूँ और यह भी फ़र्माया है कि 'जो शख़्स हमारी सत्यता जान्ना चाहता है उसको यह देखना चाहिये कि हमारे आमाल और अहवाल में अल्लाह तआला के कलाम यानि क़ुरआने मजीद और रसूलुल्लाह सल्ला० की इत्तिबाअ (अनुकरण) पाई जाती है या नहीं, जब इन दोनों में हमारी इत्तिबाअ को पाये तो हमारे कलाम को सच्चा जाने। फिर आपने आयते करीमा *'क़ुल् हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन् अना व मनित् तबाअनी' (यूसुफ़-१०८)* पढ़कर साबित फ़र्माया है कि मेरा दावा रसूलुल्लाह सल्ला) के दावे के ख़िलाफ़ नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्ला० तौहीद

पर अल्लाह की तरफ़ बुलाते थे और मैं भी तौहीद पर अल्लाह तआला की तरफ़ बुलाता हूँ। बसीरत और तौहीद के अर्थ पर हम बाद में बहस करेंगे। वाज़ेह हो कि *'मनित तबाअनी'* में जो कलिमा *'मन'* है उस से महेदी मुराद हैं चुनांचे आपके उस फ़र्मान से यही बात मालूम होती है। दूसरे उलमा ने उस कलिमा *'मन'* से आम ताबेआने रसूलुल्लाह सल्ला० मुराद ली है मगर उनका यह क़ौल ज़न्नी (काल्पनिक) है और महेदी अले० का क़ौल इस वजह से कि आप ख़लीफ़तुल्लाह हैं क़तई (निश्चित) है, इस लिये हमारे पास उस *मन* से महेदी अले० ही मुराद ली जाती है। यह दोनों रिवायतें जो हमने ज़िक्र की हैं बंदगी मियाँ सय्यद ख़ुंदमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी० के 'अक़ीद-ए-शरीफ़ा' में मौजूद है और बंदगी मियाँ सय्यद ख़ुंदमीर रज़ी० ने मकतूबे मुल्तानी में फ़र्माया है कि महेदी अले० शरीअत के सब अहकाम में रसूलुल्लाह सल्ला० का अनुसरण करते हैं। इन अक़वाल से साबित है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० की शरीअत के ताबेअ हैं। और इसी ताबईयत (अनुसरण) से महेदी अले० ने अपने महेदी होनो को साबित किया है मगर आप ऐसे ताबेअ नहीं हैं जिस तरह कि रसूलुल्लाह सल्ला० के सहाबा, अइम्म-ए-मुज्तहिदीन और अहम्म-ए-अहले बैते रसूलुल्लाह सल्ला० ताबेअ हैं बल्कि आप इस वजह से कि ख़लीफ़ तुल्लाह ताबेअ मासूम हैं और कथित ताबईन के मासूम होने पर कोई दलील (तर्क) मौजूद नहीं है इस लिये कथित ताबईन की तबईयत (अनुसरण) ख़ता से ख़ाली नहीं है और महेदी अले० इस वजह से कि ख़लीफ़तुल्लाह हैं ताबेअ मासूम हैं इस लिये हमारे पास आपको केवल ताबेअ नहीं कहते बल्कि ताबेअ ताम (पूर्ण अनुयायी) कहेत हैं। रही यह

बात कि महेदी अले० जब ताबेअ रसूलुल्लाह सल्ला० हैं तो किन किन विषयों में आपका अनुसरण करते हैं। इसका जवाब ख़ुद बंदगी मियाँ सय्यद ख़ुंदमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी० ने 'रिसाला बाज़ुल आयात' में दिया है कि 'हम जवाब देते हैं कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० के उन अहकामे शरीअत की इत्तिबाअ करते हैं जिनकी आप पर वही की गई है और दावत इलल्लाह में और आपके अहवाल और अक़वाल में इत्तिबाअ करते हैं।' इसका ख़ुलासा यह है कि महेदी अले० क़ुरआने मजीद और सुन्नते रसूलुल्लाह सल्ला० की इत्तिबाअ करते हैं क्योंकि यह सब चीज़ें क़तई (निश्चित) हैं और मुजतहिद के क़ियास (अनुमान) की इत्तिबाअ नहीं करते इस वजह से कि मुजतहिद की राय ख़ता से ख़ाली नहीं है और मासूम को ग़ैर मासूम की इत्तिबाअ जाईज़ नहीं है। इसी लिये महेदी अले० ने फ़र्माया है कि किसी मुजतहिद के मज़हब से आप मुक़ैयद (आबद्ध) नहीं हैं, यह रिवायत 'अक़ीद-ए-शरीफ़ा' में मौजूद है और यह फ़र्माया है कि जो अमल और बयान बंदे से ज़ाहिर होता है वोह सब ख़ुदाए तआला की शिक्षा और मुस्तफ़ा सल्ला० के अनुसरण से है, यह रिवायत भी 'अक़ीद-ए-शरीफ़ा' में मौजूद है। वाज़ेह हो कि नाज़िल की गई शरीअत में रसूलुल्लाह सल्ला० की मुतवातिर सुन्नत भी दाख़िल है और इज्मा-ए-क़तई भी। उसकी वजह यह है कि इज्माअ की इत्तिबाअ क़ुरआने मजीद की इत्तिबाअ की तरह ही है क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है *'या अय्युहल् लज़ीन आमनुत् तक़ूल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन (अत्-तौबा-११९)* और यह भी फ़र्माता है *व यत्तबेअ ग़ैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम (अन्-निसा-११५)*। इन आयतों से इज्माअ का दलीले *क़तई*

(निश्चित प्रमाण) होना साबित है। इज्माअ के सब अक़साम में इज्मा-ए-सहाबा जो सुकूती नहो क़तई है और उसका मुन्किर काफ़िर है, अगरचे क़ियास भी क़ुरआने मजीद से ग्रहण किया गया है मगर चूंकि उस में मुज्तहिद की राय का ज़ियादा दख़ल है इसलिये उसमें ख़ता का संदेह है।

महेदी अले० उन अहादीस के ताबेअ नहीं है जिनमें ज़न् (कल्पना) हो बल्कि उन अहादीस की तस्हीह (संशोधन) महेदी अले० के क़ौल और अमल से होगी लेकिन शर्त यह है कि उसकी रिवायत हमारे पास तवातुर के ज़रीए से पहुंची हो चुनांची महेदी अले० ने फ़र्माया है कि अहादीस में इख़तिलाफ़ बहुत है और उनका संशोधन कठिन है, हर हदीस जो इस बन्दे के हाल के अनुकूल है वोह सहीह है, यह रिवायत अक़ीद-ए-शरीफ़ा में है। उसकी वजह यह है कि महेदी अले० ख़लीफ़तुल्लाह हैं आपका हर क़ौल व फ़ेल व हाल ख़ता से ख़ाली है। अहादीस की यह हालत नहीं हैं क्योंकि उनकी रिवायत के सिलसिले में जो रावी हैं मासूम नहीं हैं इस लिये उनकी रिवायत ख़ता से ख़ाली नहीं है और उनकी रिवायत से यह यक़ीन नहीं होता कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने ऐसा ही कहा है और किया है, लेकिन जब उस रिवायत के सिलसिले कसीर हों और सहाबा रज़ी० की एक कसीर जमाअत तक यह सिलसिले पहुंचते हों तो उस से संदेह समाप्त होजाता है। ऐसी हदीसौं को अहादीसे मुतवातिरा कहते हैं। यह हदीसें उन अहादीस से जिनकी यह सिफ़त नहीं है मुस्तसना (अपवादित) हैं, उनकी इत्तिबाअ फ़र्ज़ है और उनका मुन्किर काफ़िर है। यह हदीसें

मिस्ल किताबुल्लाह (के तुल्य) हैं। वह इज्माऐं जो सुकूती हैं या वह हज्माऐं जो सहाबा रज़ी० के तब्क़े (वर्ग) के बाद हुवी हैं सब ज़न्नी हैं, उनकी तस्ही (संशोधन) महेदी अले० के क़ौल से होनी ज़रूरी है। हासिल यह है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० के ताबेअ और अहादीसे रसूलुल्लाह सल्ला० के मुसह्हेह (शोधक) हैं। आपने जो कुछ कहा है और किया है अल्लाह तआला की शिक्षा और रसूलुल्लाह सल्ला० की इत्तिबाअ (अनुकरण) से कहा और किया है। आप मज़्हब के मुक़य्यद (संयत) नहीं हैं।

फ़स्ल: इस बयान में कि महेदी अले० मुबैइने शरीअत हैं। रसूलुल्लाह सल्ला० के ज़माने में शरीअत के उसूल (भूल आधार) दो थे। एक किताबुल्लाह यानि क़ुरआने मजीद, दूसरा सुन्नते रसूलुल्लाह सल्ला०। रसूलुल्लाह सल्ला० की सुन्नत का अस्ल होना क़ुरआने मजीद से साबित है। अल्लाह तआला फ़र्माता है *अतीउल्लाह व अतीउर रसूल* यानि अल्लाह तआला के फ़र्मान और रसूलुल्लाह सल्ला० के क़ौल व फ़ेल की इताअत (आज्ञ पालन) करो। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्ला० की इताअत की ताकीद (आग्रह)करते हुवे फ़र्माता है *मन् अताअह्ु फ़क़द् अताअल्लाह* यानि जिसने रसूल की इताअत की उसने ख़ुदा की इताअत की। फिर फ़र्माता है *मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूह्ु व मा नहाकुम अन्ह्ु फ़न्तहूह्ु* यानि रसूलुल्लाह सल्ला० तुमको जो कहे उसको इख़तियार (ग्रहण)करो और जिस से मना करे उस से रुक जाओ। इसकी तहक़ीक़ यह है कि वही के दो क़िस्म हैं मत्लू-ग़ैर मत्लू। जो वही मत्लू है वह क़ुरआने मजीद है और जो ग़ैर मत्लू है वह

रसूलुल्लाह सल्ला० की सुन्नत है। अर्थात रसूलुल्लाह सल्ला० के ज़माने में शरीअत के यही दो मूल आधार थे। आँहज़रत सल्ला० के बाद चूंकि जिब्रइल अले० के ज़रीऐ वही का द्वार बंद होगया, ज़रूरत के समय सहाबा रज़ी० को इज्माअ और क़ियास की तरफ़ तवज्जूह करना पड़ा। चूंकि इज्माअ और क़ियास का वजूद भी क़ुरआने मजीद और हदीसे शरीफ़ से साबित है, इस लिये इज्माअ और क़ियास भी अस्ल ठहराए गये लेकिन हक़ीक़त में यह दोनों किताब और सुन्नत की फ़र्अ (शाखा) हैं और सुन्नत किताबुल्लाह की शाखा है।

सहाबा रज़ी० के ज़माने में शरीअत के चार अस्ल (आधार) होगये यानि किताबुल्लाह,सुन्नते रसूलुल्लाह, इज्माअ, क़ियास। सुन्नते रसूलुल्लाह सल्ला० आँहज़रत सल्ला० के ज़माने में क़तई (निश्चित) थी मगर सहाबा रज़ी० के ज़माने में हर हदीस क़तई नहीं रही बल्कि वह हदीस क़तई समझी गई जिसकी रिवायत एक बड़ी जमाअत ने की थी और बाक़ी हदीसें ज़न्नी (काल्पनिक) समझी गयीं। उन हदीसों को उलमाए उसूल (सिद्धांत के विद्यावानों) की परिभाषा में ख़बरे वाहिद कहते हैं। ख़बरे वाहिद फ़ुक़हा के पास वाजिबुल-अमल ठहराई गई है। क़ियास के अलावा इस्तेहसान और इस्तिस्हाब को भी बाज़ मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा ने हजजे शरईया (धार्मिक नियम के प्रमाण) में शुमार किया और बाज़ौं ने तआमुले नास को भी दलीले शरई ठहराया। इन चीजौं के एतिबार से सब अहकामे शरई क़तई (निश्चित) नहीं रहे क्योंकि मुज्तहिदीन हर एक इज्तिहाद में मुसीब (अचूक) नहीं हैं, बल्कि उनसे ख़ता भी होती है।

इस तरह शरीअते मुहम्मदियह आहकामे क़तईया और ज़न्निया (निश्चित और काल्पनिक आदेशौं) से मिश्रित होगई, इस लिये महेदी अले० ने शरीअते हक़्क़ा (वास्तविक शरीअत) का बयान करना शुरू किया और निश्चित रूप से वास्तविक आदेशौं की सूचना जनता को दी। इसी कारण महेदी अले० को हमारे पास मुबैईने शरीअत (शरीअत का स्पष्ट रूप से बयान करने वाला) भी कहते हैं। चुनांचे बंदगी मियाँ सैयद ख़ुदंमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी० ने 'अक़ीद-ए-शरीफ़ा' में इसकी तस्रीह (व्याख्या) की है और महेदी अले० ने भी इरशाद फ़र्माया है कि 'बंदा शरीअते मुस्तफ़ा बयान मी कुनद् अगर हक़ीक़त बयान करदे शुमा सोख़ता गरदीदंद' और शरीअत के इसी बयान के एतिबार से महेदी अले० को नासिरे दीन भी कहते हैं, मगर आपका यह लक़ब हमारे फ़िरके में परिचित नहीं है। मतलब यह है कि महेदी अले० ने शरीअते मुहम्मदिय में बिल्कुल तसर्रूफ़ (परिवर्तन) नहीं किया बल्कि वास्तविक शरई आदेशौं की पूरी इत्तिबाअ की और बिदअतौं का बिल्कुल इस्तीसाल कर दिया (जड़ से उखाड़ फेंका)।

फ़स्लः महेदी अले० की दावत के बयान में। इसकी तौज़ीह यह है कि सैयदुना सैयद मुहम्मद जौनपूरी ने यह दावा फ़रमाया कि मैं ही महेदी मौऊद हूँ जिसने मेरी तस्दीक़ की वह मोमिन है और जिस ने मेरी महेदियत का इनकार किया वह काफ़िर है। यह दावत आपने ख़ुदा के हुकम से की, आपका दावा क़तई (निश्चित) है और तवातुर के साथ (निरंतर) हम तक पहुंचा है। यह दावा किसी क़ैद के साथ मुक़ैयद है और ना किसी शर्त के साथ मश्रूत। अर्थात यह दावा मोहकम और

क़तई (दृढ़ और निश्चित) है इसलिये जिसने महेदी मौऊद पर ईमान लाया वह अल्लाह तआला और उसके बंदों के पास मोमिन होजाएगा चाहे वह अमल करता हो या ना करता हो, तरके दुन्या करे या ना करे। इसकी बहस आइंदा फ़स्लों में आएगी। हज़रत बंदगी मियाँ सैयद ख़ुंदमीर रज़ी० ने अक़ीद-ए-शरीफ़ा में लिखा है कि जिस ने इस ज़ात की महदियत का इनकार किया वह ख़ुदा और कलामे ख़ुदा और ख़ुदा के रसूल का मुन्किर होगा' और यह भी फ़रमाया है कि 'मैं इस दावा के करने पर अल्लाह की तरफ़ से मामूर (आदिश्ट) हूँ कि मैं महेदी मौऊद हूँ'। आपने दुन्या के बड़े सलातीन के नाम अपनी महदियत पर ईमान लाने के फ़रामीन (आदेश) जारी फ़र्माए और उनमें यह भी लिखा कि अगर मैं अपने महेदी मौऊद होने को साबित ना कर सकूँ तो मुझे क़तल करदिया जाए।

समकालीन उलमा ने जब आपकी दावत सुनी तो आप से मुनाज़रा (मज़हबी बहस) के लिये तैयार हुवे मगर जब् मुनाज़रा मुम्किन न था तो मुजादल (यद्ध / शत्रुता) और मुकाबरा (हठ / द्यमंड)करने लगे, उनमें से बाज़ ने चमत्कार भी तलब किये। जब इसमें विफल होगये तो शत्रुता और हसद (डाह) से आपका मुक़ाबला किया। सलातीने वक़्त (शासकौं) को आपके विरोध पर उकसाया, आप को और आपके अस्हाब को तरह-तरह के कष्ट दिये। जिन सलातीन पर उलमा और फ़ुक़हा का ज़ियादा दबाव था उन्होंने आपको कष्ट दिया और अपने क्षेत्र से निकल जाने का आदेश दिया मगर आपने उस समय तक हिज्रत नहीं की जब तक कि आपको अल्लाह

तआला से हिज्रत करने का आदेश नमिला। जब आपको (अल्लाह से) हिज्रत करने का आदेश मिला तो आपने हिज्रत की। जिन सलातीन और उलमा को अल्लाह तआला ने तौफ़ीक़ (साहस) दी उन्होंने आप के महेदी होने की तस्दीक़ की। जिन उलमा और क़ाज़ीयौं को यह ख़याल था कि बाज़ हदीसौं के अनुसार महेदी बादशाह होगा और यह बादशाह नहीं हैं बल्कि तर्के दुन्या फ़र्ज़ बताते हैं फिर उनकी तस्दीक़ कैसे की जाए तो दुन्या के प्रेम और इच्छा मे रह गये। आँहज़रत सल्ला० ने 'दुन्या की कड़ी निंदा की है और फ़र्माया है' दुन्या से प्रम तमाम अपराधौं का नायक है, यह भी फ़र्माया है कि 'दुन्या मृत पशु है और उसका इच्छुक कुत्ता है' अल्लाह तआला फ़र्माता है 'जो लोग दुन्या को परलोक पर वरीयता देकर दुन्या चाहते हैं और लोगौं को अल्लाह तआला के मार्ग से रोकते हैं और अल्लाह तआला के मार्ग को तेड़ा रास्ता समझते हैं यह लोग पत भ्रष्ट हैं' (इब्राहीम-३) और यह भी फ़र्माता है 'जो लोग सांसारिक जीवन और उसकी शोभा के इच्छुक होते है हम उनके कर्मों को इस संसार में पूरे करदेते और इस में उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। यही वे लोग हैं जिनके लिये आख़िरत में आग के सिवा और कुछ नहीं (हूद-१५)।'

शेख़ ग़ज़ाली ने 'अहयाउल उलूम' में लिखा है 'याहया बिन मआज़ रज़ी० दुन्या के उलमा को यह कहते थे कि तुम्हारे महल व क़सर (भवन) क़ैसरी हैं और तुम्हारे घर कस्रवी हैं तुम्हारे वस्त्र ताहिरी तुम्हारे जूते जालूती, तुमारे वाहन क़ारूनी, तुम्हारे बरतन फ़िरऔनी तुम्हारी सभाऐं जाहिलियत की और तुम्हारे तरीक़े शैतानी

है फिर शरीअते मुहम्मदियह कहाँ है।' यानि क़ुरआन और हदीस दुन्या के आनंद की निंदा करते हैं फिर महेदी दुन्या का बादशाह क्योंकर होगा बल्कि महेदी अले० दीन का बादशाह और दीनी शासन का ख़ातिम होगा।

फ़स्ल: महेदी अले० के मज़्हब के बयान में। महेदी अले० चूंकि ख़लीफ़तुल्लाह हैं आपने अइम्म-ए-मुज्तहिदीन की तक़्लीद (अनुकरण) नहीं की है क्योंकि इमामे मासूम को इमामे ग़ैर मासूम की तक़्लीद जाइज़ नहीं है। चुनांचे बंदगी मियाँ सय्यद ख़ुंदमीर रज़ी० ने 'अक़ीद-ए-शरीफ़ा' में यह रिवायत की है कि महेदी अले० ने फ़र्माया है 'मैं किसी मज़्हब मैं मुक़य्यद नहीं हूँ' बल्कि आप का मज़्हब कितबुल्लाह और इत्तिबा-ए-मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० है। चुनांचे आप ने फ़र्माया है' हर अमल और बयान जो इस बन्दे का है ख़ुदा की शिक्षा से है और मुस्तफ़ा सल्ला० की इत्तिबाअ से है'। मुल्ला अली अल-क़ारी ने जो यह राय लिखी है कि महेदी अले० मुज्तहिदे मुत्लक़ है ग़लत है क्योंकि जब महेदी का ख़लीफ़तुल्लाह होना हदीस से साबित है तो इस कारण कि आप अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं अपको अल्लाह तआला की तरफ़ से शिक्षा होना प्रमाणित है, फिर ऐसा शख़्स अपनी राय और अपने इज्तिहाद से किस तरह अहकाम का इस्तिंबात (आविष्कार) करेगा। ग़र्ज़ आप ना मुज्तहिद हैं और ना किसी मुज्तहिद के मुक़ल्लिद (अनुकर्ता) हैं बल्कि आप ख़लीफ़तुल्लाह हैं और आपका हर क़ौल व फ़ेल (कथत और क्रिय) अल्लाह की शिक्षा और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की इत्तिबाअ से है।

फ़स्ल: हमारे पिछले बयान से यह साबित हुवा है कि महेदी अले० के दो मन्सब (पद) हैं। एक पद बयाने शरीअत का है जिसका ज़िकर हम ने पहले किया है और आप का दूसरा पद उन अहकाम की तरफ़ दाअवत करने का है जिनसे दीने इस्लाम का इख़तिताम (पूर्ति) है। यह अहकाम उन अहकाम की तुलना में जिन की आम दाअवत रसूलुल्लाह सल्ला० ने की है ज़ियादा सख़्त हैं। इन अहकाम का संबंध दुन्यावी उमूर (सांसारिक विषयों) से नहीं है बल्कि इन अहकाम के माध्यम से आला इबादत का आदेश दिया गया है। अगरचे यह सब अहकाम क़ुरआने मजीद और हदीसे शरीफ़ में मौजूद हैं. मगर चूंकि इनमें ज़ियाद शिद्दत (अधिक कठिनता) थी और आँहज़रत सल्ला० ने उनकी आम दाअवत भी नहीं की थी इसलिये उम्मत के मुज्तहिदीन ने उनकी तफ़सील (विवरण) की तरफ़ ध्यान नहीं दिया। अगरचे यह अहकाम भी बहुत हैं मगर उनमें जो अहम और मूल सिद्धांत (उसूल) समझे गये हैं यह हैं - तर्के दुन्या, ज़िक्रे ख़ुदा, तवक्कल, उज़्लत, सुहबते सादिक़ीन, तलबे दीदारे ख़ुदा, हिज्रत। हमारे पास इन अहकाम को अहकामे विलायत कहते हैं। इन सब अहकाम की तफ़सील आइन्दा आयेगी।

महेदी अले० ने इन अहकाम की तरफ़ मुस्तक़िल तौर पर (स्थायी रूप से) आम दाअवत की और उनके असरार व इक़ाइक़ (रहस्य और सत्यता) उम्मते मुहम्मदिया पर बयान किये। वस्तुतः आपकी बेसत इन ही अहकाम की दाअवत के लिये है चुनांचे बंदगी मियाँ सैयद ख़ुदंमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी० ने 'अक़ीद-ए-शरीफ़ा' में

महेदी अले० से रिवायत की है कि महेदी अले० फ़र्माते हैं कि 'हक़ तआला ने हमको ख़ास इसी लिये भेजा है कि जो अहकाम विलायत से संबंधित हैं महेदी के माध्यम से ज़हिर होजाऐं'। इसी कारण हमारे पास महेदी को ख़तिमे विलायते मुहम्मदिया कहते हैं और बाज़ पूर्व सूफ़िया ने भी आप को इसी एतेबार से ख़ातिमे विलायते मुहम्मदिया कहा है और क़ौम की बाज़ किताबों में इसी अर्थनुसार महेदी अले० को ख़ातिमे विलायते मुहम्मदिया लिखा गया है।

हासिल यह है कि महेदी अले० ने अल्लाह जल्ल शानहु के आदेशानुसार उस ख़ास ख़िदमत पर नियुत्क होकर विलायते मुहम्मदिया के अहकाम की तब्लीग़ की और दीने इस्लाम के अहकाम की पूर्ति उन अहकाम की तब्लीग़ से फ़रमाइ।

फ़स्ल: हमारे पिछले बयान से साबित है कि महेदी अले० पर ईमान लाना फ़र्ज़ है और आपका इन्कार रसूलुल्लाह सल्ला० का इन्कार करना है। इस लिये मोमिनीन को उनके पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है जिनको सैयद मुहम्मद अले० के महेदी होने का इन्कार है और अगर ग़लती से किसी ने नमाज़ पढ़ली तो उस नमाज़ को दुबारा पढ़ना फ़र्ज़ है। चुनांचे बंदगी मियाँ सैयद ख़ुंदमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी० ने अक़ीद-ए-शरीफ़ा में महेदी अले० से रिवायत की है कि आप अले० ने फ़र्माया कि महेदी का इन्कार करने वालौं के पीछे नमाज़ ना पढ़ो और अगर अदा किये हो तो दुबारा नमाज़ पढ़ो। इस लिये जो शख़्स महेदी अले० पर ईमान लाया है और आप के बताये हुवे सब

फ़राइज़ की पुष्टी करता है उसके पीछे नमाज़ जाइज़ है और अगर किसी फ़र्ज़ का इन्कार करता है मसलं हिज्रत और सुहबते सादिक़ान वग़ैरा तो उसके पीछे नमाज़ उचित नहीं है क्योंकि ऐसा शख़्स *'यूमिनून बिबाज़ व यकफ़ुरून बिबाज़'* के हुक्म में है और इसी तराह उन लोगौं के पीछे भी नमाज़ उचित नहीं है जो महेदी अले० को नबी मुशर्रा या नबी ग़ैर मुशर्रा कहते है, क्योंकि इस एतिक़ाद का यह परिणाम निकलता है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ख़तिमुल अम्बिया नहीं है और सैयद मुहम्मद अले० महेदी मौऊद नहीं हैं। इसके अलावा उन लोगौं के पीछे भी नमाज़ जाइज़ नहीं है जौ महेदी अले० को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० का ताबे ताम (पूर्ण अनुचर) कहने से इनकार करते हैं क्योंकि महेदी अले० ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की इत्तिबाअ को अपने महेदी होने की दलील का एक भाग बताया है जैसा कि आप ने फ़र्माया है 'अगर कोई हमारी सत्यता को मालूम करना चाहता है तो उसको चाहिये कि कलामे ख़ुदा की अनुकूलता और रसूलुल्लाह सल्ला० के अनुकरण को हमारे अहवाल व आमाल में ढूंडे और समझ ले'। उन लोगौं के पीछे भी नमाज़ उचित नहीं है जो महेदी अले० को केवल नासिरे दीन कहते हैं और ख़ातिमे दीन नहीं कहते हालांकि आप अले० की बेसत इस्लाम धर्म के इख़तिताम (पूर्ति) के लिये है।

बाक़ी झगड़े जो विलायते मुहम्मदिया के मख़लूक़ होने या ग़ैर मख़लूक़ होने में या *वराय तर्के दुन्या ईमान नीस्त* की रिवायत में हैं धर्म के उसूल व फ़रोअ (आधार और विभाग) में दाख़िल नहीं है इस

लिये यह झगड़े इस विषय के निरोधक नहीं हैं कि उनके पीछे नमाज़ पढ़ी जाए। हासिल (निष्कर्ष) यह है कि जिन लोगौं को ख़ुदा की किताब और हदीसे मुतवातिर और फ़राइज़े महेदी अले० से किसी हुक्म का इन्कार हो उनके पीछे नमाज़ उचित नहीं है और जिनको इन उमूर में किसी चीज़ का इन्कार न हो उनके पीछे नमाज़ उचित है।

तीसरा बाब

उन अहकाम के बयान में जिनको महेदी अले० ने अपने मोमिनीन पर फ़र्ज़ क़रार दिया है

फ़स्लः सुहबते सादिक़ीन - महेदी अले० ने फ़र्माया है कि सादिक़ (सत्य वादी) की सुहबत फ़र्ज़ है। सादिक़ से मुराद वह शख़्स है जो अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्ला० की इत्तिबाअ करे और यह इत्तिबाअ (अनुकरण) उसके क़ौल व अमल से ज़ाहिर हो। महेदी अले० के मबऊस (नियुत्क) होने के बाद सादिक़ की तारीफ़ (परिचय) हमारे पास यह है कि सादिक़ वह है जो अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्ला० और महेदी अले० की इत्तिबाअ करे और उसकी यह इत्तिबाअ उसके क़ौल व अमल से ज़ाहिर हो। सादिक़ की सुहबत में मोमिन शख़्स का रहना इस वजह से फ़र्ज़ है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है *''ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह तआला से डरो और सादिक़ीन् की सुहबत में रहो (अत-तौबा-११९)''* इसलिये हर मोमिन को चाहिये कि अल्लाह तआला से डरे और किसी सादिक़ की संगति में रहे। अल्लाह तआला से डरना ऐक ऐसा फ़र्ज़ है जो बिल्कुल ज़ाहिर (सर्वथा स्पष्ट) है। सुहबते सादिक़ के फ़र्ज़ होने की वज्ह यह है कि *कूनू* आदेशात्मक रूप है और आदेशात्मक रूप हुक्म के ईश्वरादिष्ट कर्म होने का प्रमाण है जबकि उसके साथ कोइ ऐसा क़रीना (संधि) मौजूद ना हो जो इस फ़रज़ियत को रोकता हो। इस आयते करीमा में *कूनू* इसी तरह आया है यानि इसके साथ कोई ऐसा क़रीना मौजूद नहीं है जो इस हुक्स का बाधक हो।

फ़स्लः ज़िक्रे कसीर - महेदी अले० ने फ़र्माया है कि ज़िक्रे कसीर फ़र्ज़ है। अल्लाह तआला फ़र्माता है। *''ऐ ईमान वालो ! अल्लाह को अधिक याद करो (अल-अह़ज़ाब-४१)''*। फिर फ़र्माता है *''अपने रब को दिल ही दिल में नम्रता से और डरते हुवे प्रातः काल और सन्धया समय धीमी आवाज़ के साथ याद किया करो और उन लोगौं में से न हो जाओ जो अचेतावस्था में पड़े हुवे हैं (अल-आराफ़-२०५)''*। इन आयतौं में *वज़्कुर* आदेशात्मक रूप है जो ज़िक्र की फ़रज़ियत का प्रमाण है।

फ़स्लः तलबे दीदारे ख़ुदा - महेदी अले० ने फ़र्माया है कि तलबे दीदारे ख़ुदा यानि ख़ुदा के दर्शन की इच्छा फ़र्ज़ है। जैसाकि अल्लाह तआला फ़र्माता है *''जो शख़्स यहाँ (दुन्या में) अन्धा (बना) रहा वह आख़िरत में भी अन्धा ही रहेगा (बनी-इसराईल-७२)''*। इस आयत से तलबे दीदारे ख़ुदा की फ़रज़ियत साबित है।

फ़स्लः तरके दुन्या - महेदी अले० ने फ़र्माया है कि तरके दुन्या फ़र्ज़ है। अल्लाह तआला फ़र्माता है *''यानि जो लोग सांसारिक जीवन और उसकी शोभा के इच्छुक हैं उन लोगौं को उनके कर्मों का बदला हम यहीं दे देते हैं, और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। यह वह लोग हैं, जिनके लिये आख़िरत में (जहन्नम की) आग के सिवा और कुछ नहीं (हूद - १५,१६)''*। इस आयते करीमा से ज़ाहिर है कि दुन्या की इच्छा ऐसा विषय है कि उसका दंड अल्लाह तआला ने दोज़ख़ का अज़ाब रखा है। इस आयत में शब्द *मन* सामान्य है और उसकी सामान्यता मोमिन और काफ़िर सब के लिये है। पुस्तक 'तन्वीरुल

हिदाया' में हमने इन विषयों को अधिक विस्तार से बयान किया है।

फ़स्लः उज़्लत अज़् ख़ल्क़ - उज़्लत (एकांत) से मुराद उन लोगौं से दूर रहना है जो लहव व लइब (मनो विनोद) को दीन समझते हैं। अल्लाह तआला फ़र्माता है, *''यानि छोड़ो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने दीन (धर्म) को खेल और तमाशा बना लिया है (अल-अनआम-७०)''*। महेदी अले० ने उज़्लत अज़् ख़ल्क़ को फ़र्ज़ फ़र्माया है क्योंकि शब्द *ज़र* आदेशात्मक रूप है जो फ़र्ज़ और वुजूब (अनिवार्यता) को प्रमाणित करता है।

फ़स्लः तवक्कुल - महेदी अले० ने फ़र्माया है कि अल्लाह तआला पर भरोसा करना फ़र्ज़ है क्योंकि जो शख़्स अल्लाह तआला पर तवक्कुल नहीं करता और अस्बाब (साधन) को मुस्तक़िल मुअस्सिर (स्थायी प्रभावकारी) समझता है तो वह मुश्रिक है। इस से ज़हिर है कि इस तरह समझना कुफ्र है। अल्लाह तआला फ़र्माता है *''अल्लाह पर भरोसा करो निःसंदेह अल्लाह अपने ऊपर भरोसा करने वालौं से प्रेम करता है (आले-इम्रान-१५९)''*। तवक्कुल के मरातिब और अक़साम (वर्ग) पुस्तक तन्वीरुल हिदाया में बयान किये गये हैं देख लीजिये।*

* *जब तारिके दुन्या ने अल्लाह तआला पर भरोसा किया तो उस पर तरके तदबीर (प्रयास छोड़ना) भी फ़र्ज़ होगी वर्ना वह शख़्स तारिक नहीं होगा। इमाम ग़ज़ाली रहे० ने मुतवक्किल के तीन दर्जे बताये हैं। पहला यह कि अल्लाह तआला पर भरोसा करे और तदबीर (प्रयास) भी करे। दूसरा यह कि ख़ास अल्लाह तआला पर भरोसा करे और तदबीर छोड़ दे। तीसरा यह कि अल्लाह तआला पर भरोसा करे और अल्लाह तआला से भी ना मांगे इस विश्वास के साथ कि जो कुछ तक़दीर (भाग्य) में है वही होगा। पहली क़िस्म तारिके दुन्या से संबंधित नहीं है जब कि दूसरी और तीसरी क़िस्म तारिक से संबंधित है। (तन्वीरूल हिदाया)*

फ़स्ल - हिज्रत - महेदी अले० ने हिज्रत (प्रवासन) को फ़र्ज़ कहा है। उसके यह माना है कि जिस क्षेत्र में विरोधियौं की तरफ़ से अहकामे दीन अदा करने की मनाही हो, मोमिनीन पर फ़र्ज़ है कि उस क्षेत्र से हिज्रत करें और ऐसी जगह चले जाऐं जहाँ इतमीनान के साथ ख़ुदा की बन्दगी कर सकें। अल्लाह तआला फ़र्माता है *''कुफ़्फ़ार के शहरों से जो लोग अहकामे दीन के अदा करने में कठिनायी के बावजूद नहीं निकले उनको फ़रिश्ते कहेंगे 'क्या अल्लाह की धरती विशाल नहीं थी कि तुम उसमें कहीं हिज्रत कर जाते ? यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वह क्या ही बुरा ठिकना है (अन-निसा-९७)''*1 इसी लिये हज़रत महेदी अले० ने हिज्रत के कारण पाये जाने पर हिज्रत को फ़र्ज़ फ़र्माया है।

फ़स्ल ईमान - ईमान के विषय में हनफ़िया और शाफ़इया को इख़तिलाफ़ है। हनफ़िया बयान करते हैं कि ईमान में कमी और ज़ियादती नहीं होती। शाफ़इया कहते हैं कि ईमान में कमी और ज़ियादती होती है मगर हक़ीक़त में जिस से नफ़से तस्दीक़ मुराद है कमी और ज़ियादती मुम्किन नहीं है। हाँ हक़ीक़ते ईमान का कमाल (पूर्णता) और नुक़सान मुम्किन है। महेदी अले० ने भी इसी माना को पसन्द फ़र्माया है चुनांचे बंदगी मियाँ मैयद ख़ुदंमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी० ने 'अक़ीद-ए-शरीफ़ा' में फ़र्माया है ईमान के बारे में अल्लाह तआला फ़र्ाता है *मोमिन तो वही हैं कि जब अल्लाह तआला का ज़िकर करते हैं तो उनके दिल काँप उठते हैं और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं तो*

उनका ईमान ज़ियाद होजाता है और वे अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वे नमाज़ पढ़ते हैं और हमने जो कुछ रिज़्क़ उन्हें दिया हैं। उसमें से ख़र्च करते हैं। यह लोग हक़ीक़ी मोमिन हैं। (अल-अनफ़ाल,२,३,४) इस आयत से ज़ाहिर है कि हक़ीक़ी मोमिन वही हैं जो सिफ़ाते मज़्कूरा (उत्क गुणौं) से मौसूफ़ हैं और इनही लोगौं का ईमान कामिल है। इस आयत से यह साबित नहीं होता कि ईमान अमल् का भाग है क्योंकि जिन सिफ़ात का इस आयत मे ज़िकर किया गया है वह सब आमाल हैं ज़ाहिर है कि सिफ़ात मौसूफ़ के अंश नहीं है।

फ़स्ल: अस्हाने हदीस ने बयान किया है कि ईमान दिल से तस्दीक़ करने और ज़बान से कलिम-ए-शहादत कहने और आज़ा (अंग) से अमल करने का नाम है। जम्हूर अहले सुन्नत कहते हैं कि हमारा यह मज़्हब है कि ईमान केवल दिल से तस्दीक़ करने का नाम है। इसकी कई दलीलें हैं। पहली यह है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है *''वही लोग हैं जिनके दिलौं में उसने ईमान को अंकित कर दिया है (अल-मुजादिला-२२)''*1 दूसरी दलील यह है ''ऐ अल्लाह मेरे दिल को तेरे दीन पर स्थायी रूप में स्थापित रखा। तीसरी दलील यह है कि उसामा रज़ी० ने एक शख़्स को क़तल किया था तो रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया *हल्ला शक्ककत कल्बिहि* इस से ज़ाहिर है कि ईमान तस्दीक़े क़ल्बी (हार्दिक पुष्टि) है। चौथी दलील यह है कि ईमान पर अमल का अत्फ़ (संयोजन) किया जाता है, चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *''वह लोग जो ईमान लाये और नेक कर्म किये''* और ज़रूर है कि मातूफ़ अलेहि (जिस पर संयोजन किया गया) और मातूफ़

(संयोजित) में अंतर हो क्योंकि किसी चीज़ की हक़ीक़त पर अत्फ़ जाइज़ है और अंश का अत्फ़ कुल (पूरे) पर। पांचवी दलील यह है कि ईमान पाप करने पर भी बाक़ी रहता है क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है *''और यदि ईमान वालों के दो गुरोह परस्पर लड़ पड़ें तो उनके बीच सुलह - सफ़ाई करा दो (अ-हुजुरात -१)''*1 इस आयते करीमा से जाहिर है कि आपस में लड़ना गुनाहे कबीरा है। इसके अलावा वह लोग भी मोमिन हैं जिनका ईमान ज़ुल्म के साथ मिश्रित हुवा है क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है *''जो लोग ईमान लाये औप अपने ईमान को कुछ ज़ुल्म के साथ सम्मिश्रित नहीं किया (अल-अनआम-८२)''*1 आयते करीमा से मालूम होता है कि मोमिनीन की दो क़िस्में हैं - एक क़िस्म यह है कि मोमिनीन ने अपने ईमान को ज़ुल्म से मिश्रित किया है, अल्लाह तआला ने आयते करीमा में पहली क़िस्म का ज़िकर किया है और दूसरी क़िस्म चूंकि इसकी क़िस्म है ज़िम्नन साबित होती है। छटी दलील यह है कि ईमान अगर तस्दीक़े क़ल्बी (इार्दिक पुष्टी) न होता तो अल्लाह तआला यह नहीं फ़र्माता कि *''(अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है - (अल-बक़रह - ७)''* और *''अल्लाह ने उनके दिलौं पर ठप्पा लगा दिया - (अत - तौबा - ९३)''*1 इन आयतौं से ज़ाहिर है कि जब अल्लाह तआला ने उनके दिलौं पर मुहर करदी तो फिर वे किस तरह ईमान लासकेंगे। इन दलीलौं से साबित है कि ईमान मुरक्कब (मिश्रित) और मज्मूअ (समष्ट) नहीं है बल्कि केवल तस्दीक़े क़ल्बी है और ज़बान से इक़रार ज़हूरे ईमान की शर्त है। हमारी क़ौम के बाज़ अस्हाब का यह भी ख़याल है कि अमल ईमान का अंश है और इसपर चंद रिवायतौं से इस्तिदलाल

किया है। पहली यह है कि ''तरके दुन्या के बग़ैर ईमान नहीं'' दूसरी यह है कि इन्साफ़ नामा में रिवायत की गई है ''बन्दे की तस्दीक़ अमल है बेअमल अस्वीकृत है'' तीसरी यह है कि ''जिस समय मेमिन गुनाह करता है तो ईमान बाहर हो जाता है, जब उस गुनाह से तौबा करता है तो ईमान आजाता है'' (हाशिया इन्साफ़ नामा)। चौथी रिवायत यह है ''मोमिन जान बूझकर गुनाह नहीं करता अगर वह जान बूझकर गुनाह करेगा तो वह काफ़िर है (मक्तूब क़ाज़ी मुंतजिबुद्दीन रज़ी०)। पांचवीं रिवायत यह है कि ''जो गुनाहे कबीरा पर अटल हो वह हमेशा नरक में रहेगा''।

यह सब रिवायतें क़ाबिले बहस हैं क्योंकि पहली रिवायत का उर्थ 'तरके दुन्या के सिवा ईमान नहीं है' से यह मालूम होता है कि केवल तरके दुन्या ही ईमान है और यह साबित नहीं होता कि तरके दुन्य ईमान का अंश है और अमले सालेह के साथ ईमान का इज्तिमाअ (योग) मुम्किन है। दूसरी रिवायत में यह बहस हे कि अमल (क्रिया) हो तो स्वीकृति है अगर अमल न हो तो स्वीकृति भी नहीं यानि तस्दीक़ नहीं। यह रिवायत भी इसी बात को बताती है कि अमल स्वयं तस्दीक़ है न तस्दीक़ का अंश, इस आधार पर यह कहना सही है कि इन दोनों रिवायतौं में यह इस्तिदलाल करना कि अमल तस्दीक़ और ईमान का अंश है ग़लत है, हम इन दोनों में आगामी फ़स्लों में विस्तार से बहस करेंगे। तीसरी रिवायत का यह अर्थ है कि ईमान के साथ गुनाहे कबीरा एकत्र नहीं होसकता और अमले सालेह के साथ ईमान एकत्र होसकता है। अगर अमले सालेह एकत्र होगा तो यह अमले सालेह

ईमान का वस्फ़ (गुण) न होगा वरना क़ियामे अर्ज़ बिल अर्ज़ लाज़िम आयेगा और यह मुहाल (असंभव) है बल्कि आमिल (कार्य कर्ता) का गुण होगा, ईमान का अंश नहीं होगा। उनके एकत्र होने के यह माना हैं कि ईमान और अमल की सूरत दिल में पाए जाते हैं उस से ईमान का मुरक्कब (मिश्रित) होना और अमल उसका अंश होना साबित नहीं है। चौथी रिवायत का अर्थ यह है कि जिस ने जान बूझकर गुनाह किया वह काफ़िर है और जिसने जान बूझकर नही किया वह काफ़िर नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ईमान के साथ नेक अमल और बुरे अमल का इज्तिमाअ मुम्किन है, लेकिन इस से यह साबित नहीं होता कि अमल ईमान का भाग है, चुनांचे आयते करीमा *''कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपने गुनाहौं का इक़रार कर लिया। उन्होंने मिले-जुले कर्म किये कुछ अच्छे और कुछ बुरे(अत-तौबा-१०२)''* इसी विषय को प्रमाणित करती है।मतलब यह है कि स्वयं ईमान के मिश्रण से अमले सालेह उसका भाग होना लाज़िम नहीं आता बल्कि इन दोनों का दिल में एकत्र होना लाज़िम आता है। अगर ऐसा न होगा तो गुनाहों का भी ईमान का भाग होना लाज़िम आएगा, क्योंकि मोमिने फ़ासिक़ (पापी) के दिल में ईमान पाप से मिश्रित है और पाप ईमान का भाग होना स्पष्ट रूप से बातिल (असत्य) है। पांचवीं रिवायत में भी यही बहस होगी। हासिल यह है कि इन रिवायात से साबित नहीं होता कि अमल (कर्म) ईमान का भाग है। जिन लोगौं ने इन रिवायतौं से यह समझ लिया है कि अमल ईमान का भाग है उन्होंने ग़लती की और चर्चित आयाते करीमा के विरूद्ध किया है। हासिल (निष्कर्ष) यह है कि किसी आयत, हदीस और महेदी मौऊद अले० की रिवायत में यह नस्स

(स्पष्टी करण) नहीं है कि अमल ईमान का भाग है।

फ़स्ल: बाज़ रिवायतौं से मालूम होता है कि तरके दुन्या ही ईमान है। चुनांचे यह रिवायत कीह जाती है कि *''तरके दुन्या के बग़ैर ईमान नहीं''* और महेदी अले० ने यह भी फ़र्माया है कि ''क़ुबूलियते बन्दा अमल अस्त व बे अमल क़ुबूलियत मर्दूद''। यह रिवायतें इन्साफ़ नामा वग़ैरह में है।

पहली रिवायत से मालूम होता है कि तरके दुन्या न हो तो ईमान भी बाक़ी नहीं रहता और दूसरी रिवायत से ज़ाहिर होता है कि अगर अमल न हो तो क़ुबूलियत (स्वीकृति) जिस से ईमान और सस्दीक़ मुराद है अस्वीकृत हो जाएगी। हमारे पास यह दोनों रिवायते क़ाबिले बहस हैं।

पहली रिवायत इस कारण क़ाबिले बहस है कि फ़र्ज़ कीजिये अगर महेदी मौऊद अले० की तस्दीक़ करने वाले किसी शख़्स ने सब फ़राइज़ अदा किये मगर तरके दुन्या नहीं किया तो वह मोमिन नहीं होना चाहिये, क्योंकि जब तरके दुन्या ही नहीं है तो ईमान भी नहीं। मगर यह विषय महेदी मौऊद अले० के दाव-ए-मोहकम (दृड़ दावा) के विरुद्ध है क्योंकि आप का यह दावा है कि मेरा मुसद्दिक़ मोमिन है इस से साबित होता है कि इन्सान केवल तस्दीक़ से मोमिन होजाता है। इसका कारण यह है कि आपने उस दावे को किसी क़ैद से मुक़ैयद किया ना किसी शर्त से मश्रूत, इसलिये केवल तस्दीक़ ही से वह मोमिन हो जाएगा चाहे वह अमल करने में कमी करता हो।

इसी तरह अगर किसी ने दुनिया को तर्क किया और ''मैंने महेदी मौऊद पर ईमान लाया'' नहीं कहा तो वह मोमिन होना चाहिये क्योंकि जब तर्के दुनिया असल ईमान है तौ महेदी मौऊद पर ईमान लाया कहने की ज़रूरत नहीं है, इस आधार पर हर ऐक दुनिया तर्क करने वाले को मोमिन कहना लाज़िम आएगा, चाहे उसने महेदी मौऊद की तस्दीक़ की हो या ना की हो और यह बातिल है।

दूसरी रिवायत भी (यानि बन्दे की तस्दीक़ अमल है और अमल के बग़ैर तस्दीक़ नामक़बूल है) क़ाबिले बहस है। यह कि जुमला 'बे अमल मर्दूद है' में अमल मुतलक़ (सामान्य) है उसकी तक़ईद (विशेषता) की ज़रूरत है, क्योंकि कोइ भी अमल मूजिबे सवाब (पुणय का कारण) नहीं है बल्कि अमले सालेह (नेक अमल) मूजिबे सवाब होता है। फिर यह भी बहस है कि इस रिवायत में अमल मुफ़रद (एक) है तो उस से दो एहतिमाल (संदेह) पैदा होंगे। तसनिया (द्विवचन) की संभावना इस वजह से नहीं होसकती कि उस में तस्निया की अलामत नहीं है। वाज़ेह हो कि अगर अमल से सारे आमाल मुराद हैं तो यह बातिल (असत्य) है क्योंकि वाहिद (एक वचन) से बतौर इस्तिग़राक़ सारे आमाल उस सूरत में मोतबर (विश्वास पात्र) होते हैं जब कि उस पर इस्तिग़राक़ की अलामत मौजूद हो मसलन् कलिमए कुल और जमीअ (सब) और इस रिवायत में अमल पर यह शब्द दाख़िल नहीं हैं तो आमाल का इस्तिग़राक़ बातिल होगा। पस यह संदेह बातिल है कि अमल से सब आमाले सालेहा मुराद हैं और अगर मानलें कि इस से यह मुराद है कि अमल से सारे आमाले सालेहा मुराद हैं तो उनकी

अदाइ क़ाबिले तस्लिम (स्वीकार्य) नहीं है क्योंकि यह संभावना बशर (मानव) से बाहर है और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से भी उनका वाक़े होना स्वीकार्य नहीं क्योंकि अक़ली और नक़ली दलील (विवेक और कथित तर्क) से यह साबित है कि उन से अच्छा काम ही सादिर होगा और यह साबित नहीं है कि उन से सब अच्छे काम सादिर होंगे। हाँ यह साबित है कि वह कोई पाप नहीं करेंगे। इस तराह दूसरा संदेह बातिल है।

अब रहा पहली संभावना तो वह भी क़ाबिले बहस है क्योंकि इस रिवायत में अमल (कार्य) नकिरा (जाति वाचक संज्ञा) है तो वह अनिश्चित रहेगा। इस सूरत में किसी एक अमल से क़ुबूलियत यानि तस्दिक़ साबित होजाएगी चाहे वह तर्के दुनिया हो या दूसरा कोई अमल हो। इस सूरत में दो अम्र (विषय) लाज़िम आयेंगे। पहला यह कि तस्दिक़ अमल का नाम होगा और यह बातिल है क्योंकि तस्दिक़ इल्मे यक़ीनी (विश्वास ज्ञान) का नाम है। दूसरा विषय यह है कि यह रिवायत (तर्के दुन्या के बग़ैर ईमन नहीं) से मुतआरिज़ होगी क्योंकि इस रिवायत से ज़ाहिर है कि ईमान केवल तर्के दुनिया ही है और जिस रिवायत (तस्दिक़े बंदा अमल अस्त) से यह मालूम होता है कि तस्दिक़ अमल का नाम है चाहे वह तर्के दुनिया हो या कोई दूसरा अमल हो। जब यह दोनों रिवायतें एक दूसरे से टकराती हैं और उन मे तत्बीक़ (समानता) नहीं हो सकती तो इल्मे उसूल (सिद्धांत ज्ञान) के अनुसार दोनों साख़ित होजाऐंगी और किसी पर अमल नहीं होसकेगा।

अगर अमले सालेह से तर्के दुनिया मुराद लीजाए तो इसमें फिर वही बहसें होंगी जो तर्के दुनिया की रिवायत में की गई हैं। ग़र्ज़ यह दोनों रिवायतें क़ाबिले बहस हैं। हमारे पास हक़ यह है कि इस विषय में इस तरह कहा जाय कि जिस ने महेदी मोऊद अले० की दिल से तस्दिक़ की और आप के दावा-ए-महेदियत का इक़्रार ज़बान से किया वह मोमिन होगया और जिसने इस तस्दिक़ और इक़्रार के साथ मज़कूरा आयत के मुताबिक़ अमल किया वह हक़ीक़ी मोमिन और मज़कूरा आयत का मिस्दाक़ बनगया। ग़र्ज़ महेदी अले० के दावा की तस्दिक़ के साथ ही इन्सान मोमिन हो जाता है और तस्दिक़ के साथ अमल से मोमिने कामिल। पहली क़िस्म को मोमिने क़ासिरूल अमल (अमल ना करने वाला मोमिन) भी कहते है। चूंकि महेदी मौऊद अले० की तस्तिक़ के बाद मन्सूसा (निश्चित) फ़राइज़े विलायत पर अमल करना फ़र्ज़ है, यह दोनों रिवायतें फ़राइज़ की अदाइ (प्रतिपालन) की तहरीस (आकर्षित करने) पर दलालत करती हैं।

हमारे बयान से यह साबित होगया कि अमल (क्रिय) ईमान का अंश नहीं है। जिन लोगौं की यह राय है कि अमल की ज़ियादती और कमी के एतिबार से ईमान में भी कमी या ज़ियादती होती है दलील की मोहताज है।

फ़स्ल: रसूलुल्लाह सल्ला० की उम्मत के उलमा को इस विषय मे इख़तिलाफ़ है कि मोमिने फ़ासिक़ (पापी) नरक में जाएगा या नहीं। बाज़ की यह राय है कि मोमिने फ़ासिक़ नरक में जाएगा और बाज़ की यह राय है कि नरक में नहीं जाएगा।

जिन लोगौं की यह राय है कि मोमिने फ़ासिक़ नरक में जाएगा उनमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष का यह कहना है कि मोमिने फ़ासिक़ नरक में हमेश रहेगा। दूसरे पक्ष की यह राय है कि मोमिने फ़ासिक़ नरक में दाख़िल होगा और फिर रसूलुल्लाह सल्ला० की शफ़ाअत (अभिस्ताव) से नरक से बाहर आएगा और स्वर्ग में जाएगा। अहले सुन्नत के अकसर उलमा का यही मज़्हब है। ग़र्ज़ यह मसअला इस तरह ज़ेरे बहस है। महेदी मौऊद अले० के फ़रमान से मालूम होता है कि जो नरक में जाएगा वह हमेशा नरक मे रहेगा चुनांचे बंदगी मियाँ सैयद ख़ुंदमीर रज़ी० की रिवायत *''वजाविदानी दर दोज़ख़''* का यही अर्थ है। इस से ज़ाहिर है कि नरक काफ़िरौं का मक़ाम है और आयते करीमा *उइद्दत लिल काफ़िरीन* भी इसी बात पर दलालत करती है और आयते *करीमा ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला (अल्लैल - १५)* से भी यही साबित है कि नरक में उस शक़ी (अभागा) के सिवा कोई ना जाएगा जिसने अल्लाह तआला को झुटलाया और उस से मूंह पेर लिया है। यह बात ज़ाहिर है कि जो हुक्म हर्फ़े नफ़ी (नकार अक्षर) और इसतिस्ना (अपवाद) के साथ बयान किया जाता है वह हसर (प्रतिबन्ध) पर दलालत करता है। इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने बतौर हसर फ़र्माया है कि नरक में कोई दाख़िल ना होगा मगर वह शख़्स दाख़िल होगा जिसने अल्लाह तआला को झुटलाया और उस से मूंह फेर लिया है। चूंकि मोमिने फ़ासिक़ इन दोनों सिफ़तौं से मौसूफ़ नहीं है इस लिये दोज़ख़ में नहीं जाएगा। हमारा मज़्हब इस विषय में यही है कि मोमिने फ़ासिक़ नरक में नहीं

जाएगा और क़ब्र में ही सज़ा पाएगा और अज़ाबे क़ब्र और ज़ज्र व तौबीख़ (डांट फटकार) के बाद अल्लाह तआला की रहमत से या आँहज़रत सल्ला० की शफ़ाअत से जन्नत में जाएगा। अगर यह एतराज़ किया जाए कि इस जगह जो कुछ बयान किया गया है उसका हासिल यह है कि फ़ासिक़ के हक़ में जो वईदें (सज़ा देने का वादा) क़ुरआने मजीद में मौजूद हैं वह सब धमकियाँ हैं वह घटित नहीं होंगी। यह मर्जीया का एतिक़ाद है। इस का जवाब यह है कि मर्जीया (एक सम्प्रदाय) इस अम्र के क़ाइल हैं कि फ़ासिक़ को ना अज़ाब होगा और ना वह नरक में जाएगा लेकिन हमारा यह मज़्हब नहीं है बल्कि हमारा मज़्हब यह है कि मोमिने फ़ासिक़ अपने गुनाहौं की वजह से क़ब्र में अज़ाब पाएगा और उसके बाद अल्लाह तआला अपनी कृपा से या अपने रसूले अक्रम सल्ला० की शफ़ाअत से उसको जन्नत में दाख़िल फ़र्माएगा। ग़रज़ मोमिन फ़ासिक़ का अज़ाब पाना मुसल्लम (प्रमाणित) है मगर नरक में जाना प्रमाणित नहीं है।

अगर यह एतराज़ किया जाए कि बाज़ हदीसें इस बात पर दलालत करती हैं कि मोमिने फ़ासिक़ दोज़ख़ में दाखिल होगा और फिर आँहज़रत की शफ़ाअत से निकलेगा और जन्नत में दाख़िल किया जाएगा। उसका जवाब यह है कि दोज़ख़ में जो लोग दाख़िल किये जाऐंगे वह लोग हालिक (दण्डाज्ञा) हैं। चुनांचे अल्लाह तआला फ़र्माता है *मन् तुदख़िलिन् नार फ़क़द अख़ज़ैतहु (आले इम्रान - १९२)* (जिसको तु ने नरक में डाला उसे निंदित किया) जो लोग हालिक हैं उनकी नजात (मुक्ति) मुम्किन नहीं है। इसका यह अर्थ है कि वह हमेशा के

लिये हालिक हैं। मगर चूंकि मोमिन अमन वाला है और उसके आम मफ़हूम (सामान्य अर्थ) में मोमिने फ़ासिक़ भी दाख़िल है इस लिये उसकी हलाकत मुम्किन नहीं है और आयत *ला यस्लाहा* इस बात को साबित करती है कि नरक केवल उन अश्क़िया (दोषियों) का स्थान है जिन्हों ने अल्लाह तआला को झुटलाया और अल्लाह से अपना मूहं फेर लिया है और ज़ाहिर है कि फ़ासिक़ इन दोनों बुरी सिफ़तौं से मौसूफ़ नहीं है इस लिये वह नरक में दाख़िल नहीं किया जाएगा। इस विषय पर हमने 'शर्ह फ़िक़्ह अकबर' में विस्तार से तहक़ीक (जिज्ञासा) की है इस मुख़तसर रिसाले में इसी बयान पर बस करते हैं।

फ़स्ल: मोमिने हक़ीक़ी, मोमिने हुक्मी और मोमिने उर्फ़ी के बयान में। इसके पहले हमने ईमान और मोमिन के विषय मे सामान्य अर्थ के अनुसार बहस की है। अब हम यहाँ मोमिन के अक़्साम (वर्ग) में इस्तिलाहे ख़ास (विशिष्ट परिभाषा) अनुसार बहस करेंगे।

बाज़ेह हो कि ईमान का अर्थ दिल से किसी चीज़ की तस्दीक़ करना है। उस तस्दीक़ के कई मर्तबे (श्रेणी) हैं। पहला मर्तबा यह है कि जिस चीज़ की तस्दीक़ की गई है उसके वुजूद का दिल में ऐतिक़ादे जाज़िम (दृढ़ विश्वास) रखना मसलन् दिल में रसूलुल्लाह सल्ला० की नबूवत के पहले ख़ुदाए तआला की वहदानियत (एक मानना) का एतिक़ाद। दूसरा मर्तबा यह है कि जिस चीज़ का पक्का एतिक़ाद है उसको अपने पक्के एतिक़ाद के मुताबिक़ देख लेना, मसलन् आँहज़रत सल्ला० ने नबूवत के बाद अल्लाह तआला को शबे मेराज में अपने

पक्के एतिक़ाद के मुतबिक़ वाहिद (एक) ही देखा है। तीसरा मर्तबा यह है कि जिस चीज़ का निश्चित रूप से पक्का एतिक़ाद है उसके वुजूद में फ़ना होजाना मसलन् आंहज़रत सल्ला० की हालते हक़क़ी जिसको विसाल से ताबीर करते है। इस हालत का बयान ख़ुद अल्लाह जल्ला शानहु ने क़ुरआने मजीद में फ़र्माया है *वमा रमैत इज़् रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा (अल-अन्फ़ाल - १७)* यानि ऐ मुहम्मद सल्ला० तुमने कुफ़्फ़ार पर जब रेती फेंकी थी तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि उसको अल्लाह ने फेंका था। इस आयते करीमा से मालूम होता है कि बदर की लड़ाई में जब आपने क़ुफ़्फ़कार पर रेती फेंकी थी उस समय आप सल्ला० विसाल की हालत में थे। इस लिये अल्लाह जल्ल शानहु ने आप सल्ला० के फ़ेल (कार्य) को अपनी तरफ़ मन्सूब (संबंधित) फ़र्माया और उस फ़ेल के सुदूर (जारी होने) को आप सल्ला० से नफ़ी करदी। हमारे बयान से ज़ाहिर है कि सब मोमिनीन् में आला (सर्वश्रेष्ठ) मोमिन वही है जो तीसरे मर्तबे से मौसूफ़ हो। मगर इस आला मर्तबे से आंहज़रत सल्ला० के सिवास कोई नबी मुरसल और मलिके मुक़र्रब (समीपस्थ फ़रिश्ता) मौसूफ़ नहीं है। अगरचे हज़रत मसीह अले० से यह रिवायत मशहूर है कि आप *कुम् बि इज़निल्लाह* का हम माना (समानार्थक) कोई जुम्ला फ़र्मा कर मुरदौं को ज़िंदा करते थे। मगर यह आप अले० का कथन है, कोई आयत इंजील या क़ुरआने मजीद में इस अर्थ की नहीं मिली जो इस बात पर दलालत करे कि अल्लाह जल्ल शानहु ने उसमें यह ख़बर दी हो कि ईसा अले० को महवियत और विसाल (ब्रहम लीनता) का मर्तेबा हासिल था। ग़रज़ यह मर्तेबा आंहज़रत सल्ला० के ख़ुसूसियात (विशिष्टता) से है। मगर आंहज़रत सल्ला०

की यह विशेषता विलायते मुहम्मदिया के लवाज़िम (आवश्यकता) से है, जिसके ख़ातिम महेदी अले० हैं। पस इस मर्तबे से जिस हैसियत से आंहज़रत सल्ला० मैसूफ़ है महेदी अले० भी मोसूफ़ हैं। हमारे पास यह विषय प्रमाणित है कि महेदी अले० के ख़ुलफ़ा में सानी महदी रज़ी० और बंदगी मियाँ सैयद ख़ुंदमीर रज़ी० भी महेदी अले० की कमाले इत्तेबा (पूर्ण अनुकरण) की वजह से इस मर्तबे से मौसूफ़ हैं। वाज़ेह हो कि यह विषय चूंकि तसव्वूफ़ से संबंधित है और इस फ़न् के मौज़ूअ (शीर्षक) से बिल्कुल अलग है इस लिये इस विषय की तौज़ीह (विवरण) इस रिसाले में मुनासिब नहीं है।

अब हम अपने पहले बयान की तरफ़ लोटते हैं और कहते हैं कि हमारी परिभाषा में ख़ातिमैन् अले० के बाद मोमिने हक़ीक़ी वह है जो दीदारे इलाही से मुशर्रफ़ (प्रतिष्ठित) हो, चाहे यह दीदार (दर्शन) उसको सर की आंख़ से हासिल हो या दिल की आंख़ से या ख़ाब (स्वप्न) में। अगर उसको किसी एक तरह से भी दीदारे इलाही हासिल नहीं है वह मोमिने हक़ीक़ी नहीं है, चुनांचे बंदगी मियाँ सैयद ख़ुदंमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी० ने ''अक़ीद-ए-शरीफ़ा'' में फ़र्माया है 'मगर जो तालिबे सादिक़ अपने दिल का रुख़ ग़ैर हक़ से फेर लिया है और अपने दिल का रुख़ ख़ुदा की तरफ़ लाया हुवा है और हमेश ख़ुदा के साथ मश्ग़ूल है और दुनिया व ख़ल्क़ से उज़लत यानि अलाहेदगी इख़्तियार किया है और अपने आप से बाहर आने की हिम्मत करता है, ऐसे शख़्स पर भी हज़रत महेदी अले० ने ईमान का हुक्म फ़र्माया है'।

मोमिने उरफ़ी वह है जिसने महेदी अले० के महेदी मौऊद होने की तस्दीक़ की है यानि दिल में उसका पक्का एतिक़ाद रखता है और ज़बान से अपने एतिक़ाद के मुताबिक़ इक़रार करता है लेकिन उन सारे या बाज़ अहकाम के अदा करने से क़ासिर है जिन को महेदी मौऊद अले० ने फ़र्ज़ क़रार दिया है। इस ज़माने में वह शख़्स जो पहली क़िस्म यानि ईमाने हक़ीक़ी से मौसूफ़ हो किब्रीते अहमर (लाल गंधक जिसका मिलना मुम्किन ना हो) है, और वह शख़्स जो ईमाने हुक्मी से मौसूफ़ हो वह भी कमयाब (दूर्लभ) है। हाँ तीसरी क़िस्म यानि ईमाने उरफ़ी से मौसूफ़ अकसर लोग हैं।

फ़स्लः मोमिने हुक्मी के जो सिफ़ात (गुण) पिछली फ़स्ल में ज़िकर किये गये हैं उनमें यह भी ज़िकर किया गया है कि तालिबे सादिक़ की पहली सिफ़त यह है कि अपना दिल ग़ैर हक़ से फेरले। उसका अर्थ यह है कि आलम (संसार) में जो कुछ देखता है और जो कुछ हवादिस (घटना समूह) उसको दिखाइ देते हैं उसका ज़ुहूर (प्रकटन) और उनका सुदूर (जारी होना) अल्लाह तआला की तरफ़ से जाने और उन चीज़ों के वुजूद को मुस्तक़िल (स्थायी) और उनके अफ़आल (कर्म) को उनकी तरफ़ मन्सूब न करे और हर सूरत और हर फ़ेल में अल्लाह तआला की तजल्ली देखे। अगर उसका ख़याल ऐसा न होगा और उसकी नज़र ऐसी न होगी तो हमारे पास उसका ईमान शिर्क (अनेकेश्वर वाद) से मिला हुवा है। इसी लिये हज़रत महेदी मौऊद अले० ने अल्लाह के सिवा हर चीज़ से परहेज़ (संयम) करने

की ताकीद फ़र्माइ है, चुनाचे सिद्दीक़े विलायत रज़ी० ने 'उक़ीद-ए-शरीफ़ा' में लिखा है कि मा सिवल्लाह से परहेज़ के बारे में अल्लाह तआला फ़र्माता है *या अय्युहल्लज़ीन आमनू त-तक़ूल्लाह वल्तंज़ुर नफ़्सुम् मा क़द्दमत् लिग़दिन् (अल-हश्र-१८)।* इसका ख़ुलासा यह है कि ऐ मोमिनो। अल्लाह तआला से डरो यानि किसी तरह से उसकी तौहीद के साथ शिर्क को ना मिलने दो और हर एक शख़्स अपने आमाले नफ़्सानी को देखे कि उसके नफ़्स ने क़ियामत के लिये किस तरह आमाल पेश किये हैं। यानि उन में अल्लाह तआला की तौहीद की झलक नज़र आती है या शिर्क की सूरत दिखाइ देती है। ग़र्ज़ जब तक किसी इन्सान का ख़याल ऐसा ना बन जाए वह मोमिने हुक्मी के हुक्म में दाख़िला नहीं है, हाँ मोमिने उर्फ़ी के हुक्म से ख़ारिज नहीं है।

चौथा बाब

महेदी अले० के सहाबा के बयान में

फ़स्ल: महेदी अले० के सहाबा से वह लोग मुराद हैं जिनहों ने आप अले० की महदियत की तस्दीक़ की और तर्के दुनिया के साथ आप से बैअत की हो और आप की सुहबत में रहे हों। जिसने तर्के दुनिया के बग़ैर आप अले० की तस्दीक़ की है और आप की सुहबत में रहा है हमारे पास वह शख़्स सहाबी नहीं है।

फ़स्ल: महेदी अले० के ख़ुलफ़ा के बयान में महेदी अले० के पांच ख़लीफ़े हैं। (१) सैयदुना सैयद महमूद सानी-ए-महेदी रज़ी० (२) सैयदुना सैयद ख़ुंदमीर रज़ी० (३) बंदगी मियाँ शाह नेमत रज़ी० (४) बंदगी मियाँ शाह निज़ाम रज़ी० (५) बंदगी मियाँ शाह दिलावर रज़ी०। इन पांच ख़लीफौं में दो ख़लीफ़े अफ़ज़ल हैं, यानि सैयदुना सैयद महमूद रज़ी० और सैयदुना सैयद ख़ुंदमीर रज़ी०। महेदी अले० की अकसर रिवायतें इस बात पर दलालत करती हैं कि सैयदैन रज़ी० हम मर्तबा (समान) हैं। उन ही रिवायतौं की वजह से बंदगी मलिक अलाहदाद रहो० ने यह फ़र्माया है कि महेदी अले० के हुक्म से सैयदैन रज़ी० बराबर हैं। यह सब रिवायतें हमारे पास मश्हूर हैं। इन दोनों में कमी व बेशी का एतक़ाद नहीं रखना चाहिये। हम ने रिसाला 'जिलाउल ऐनैन् फ़ी तस्वियतिस् सैयदैन' में इस विषय को विस्तार से पेष किया है।

फ़स्ल: उन सहाबा के बयान में जिन की शान में महेदी अले० ने जन्नत की बशारत दी है। वाज़ेह हो कि यह बारह सहाबी हैं। सैयदुना सैयद महमूद सानी-ए-महेदी रज़ी०, सैयदुना सैयद ख़ुंदमीर रज़ी० बदंगी मियाँ शाह नेमत रज़ी०, बंदगी मियाँ शाह निज़ाम रज़ी०, बंदगी मियाँ शाह दिलावर रज़ी०, मलिक बुरहानुद्दीन रज़ी०, मलिक गौहर रज़ी०, शाह अब्दुल मजीद रज़ी०, अमीन मुहम्मद रज़ी० मलिक मारूफ़ रज़ी० मियाँ यूसुफ़ रज़ी० मलिक जी रज़ी०।

फ़स्ल: महेदी अले० के सहाबा रसूल्लाह सल्ला० के सहाबा के मिस्ल (समान) हैं, उनके मासूम होने पर कोई दलीले क़तई (निश्चित तर्क) मौजूद नहीं है। इस सूरत में सहाबी की तक़लीद (अनुकरण) जबकि वह मुज्तहिद न हो दुरस्त न होगी। चुनांचे महेदी अले० ने फ़र्माया है कि 'सैयद महमूद और सैयद ख़ुंदमीर से अगरचे कोइ लग़्ज़िश सादिर होने की उम्मीद नहीं है मगर दीन अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह सल्ला० की सुन्नत और बन्दे पर है'। इस के यह माना हैं कि उसूले दीन (धर्म के मूल नियम) और फ़रोए दीन (शाख़ाऐं) ठहराना मेरा (महेदी अले० का) काम है सैयदैन रज़ी० का काम नहीं है। इस फ़र्मान् की वजह यह है कि महेदी अले० चूंकि ख़लीफ़तुल्लाह और ख़ातिमे दीने रसूलुल्लाह सल्ला० हैं और आपको अल्लाह की जानिब से हमेशा तालीम होती है, आपने जो कुछ अहकाम सादिर फ़र्मये हैं उनके बयान फ़र्माने पर आप अले० अल्लाह की जानिब से मामूर (आदिष्ट) हैं तो आप की इत्तिबा फ़र्ज़ है।

पस उसूले दीन और फ़रोए दीन में आप (महेदी अले०) का क़ौल हुज्जत (प्रमाण) होगा और सैयदैन रज़ी० का क़ौल हुज्जत न

होगा। इस सूरत में दूसरे सहाबा या ताबईन का क़ौल क्योंकर हुज्जत होगा। वाज़ेह हो कि हमारे पास दलाइले क़तइया कइ चीज़ें हैं। पहला बुर्हाने अक़्ली, दूसरा किताबुल्लाह, तीसरा हदीसे मुतवातिर, चौथा इज्मा-ए-सहाबा, पांचवां महेदी अले० की मुतवातिर नक़्ल, छटा क़ियासे क़तई। इसके सिवा सब दलाइल ज़न्नी (काल्पनिक) हैं जो एतक़ादियात के लिये मुफ़ीद (लाभ दायक) नहीं हैं।

ख़ातिमा – ख़ातिमैन अलौ० की तस्वियत (समानता) के बयान में। वाज़ेह हो कि ख़ातिमैन् की तस्वियत के सुबूत में कोई रिवायते सरीहा (स्पष्टतः वर्णन) बयान नहीं की गई है, मगर बंदगी मियाँ सैयद क़ासिम मुजतहिदुल् क़ौम रहे० ने ज़िकर किया है कि 'असल में तमाम महदवियों का इत्तिफ़ाक़ है कि ख़ातिमुन् नबूवत और ख़ातिमुल् विलायत एक ज़ात और बराबर हैं'। इस इबारत से मालूम होता है कि ख़ातिमैन् अलैहिमस्सलाम की तस्वियत पर सब महदवियों का इत्तिफ़ाक़ हुवा है। चूंकि यह इज्माइ हुक्म है, ख़ातिमैन् अले० की तस्वियत पर इस से इस्तिदलाल मुम्किन है। अब यह झग्ड़ा कि यह तस्वियत शरई है या हक़ीक़ी इख़्तेराई (आविष्कार) है, इसकी बिना क़ुरूने सलासा में मौजूद नहीं है, हाँ तस्वियते मुत्लक़ा का एतिक़ाद सलफ़ (पूर्वजों) से मश्हूर है। मुत्लक़ हुक्म को अपनी राय से मुक़ैयद करना नियमनुसार जाइज़ नहीं है, लेकिन बक़ौल मुज्तहिदे गुरोह रहे० जब जुमला महदवियों के इत्तेफ़ाक़ से तस्वियत साबित हुवी है, यह कहना उचित है कि तस्वियत दलीले शरई से साबित है। हमारी यह राय है कि सल्फ़ सालिहीन के क़ौल के मुताबिक़ एतिक़ाद रखना और उसमें किसी तरह की तावील न करना चाहिये। इसी में अमन है। *वल्लाहु अलामु व इलमुहु अतम्।*

INDEX

अबू दाऊद : अबू दाऊद सुलेमान, जन्म २०२ हिज्री/८१७ मृत्यु २७५/८८९ हदीस और उस से संबंधित ज्ञान के प्रसिद्ध विद्यावान। उनकी पुस्तक *सुनन् अबी दाऊद* हदीस की छेः प्रमाणिक पुस्तकों में शामिल है।

अबू हनीफ़ा : नोमान बिन साबित, जन्म कूफ़ा ८०/६९९, मृत्यु बग़दाद १५०/७६७. सुन्नी फ़िक़्हा के प्रसिद्ध इमाम। इनफ़ी सम्प्रदाय के संस्थापक। *मुस्नद अबी हनीफ़ा* और *फ़िक़्ह अकबर* के लेखक।

अबुल हसन अशअरी : जन्म बसरा २७०/८८३ - मृत्यु बग़दाद ३३०-३४० हिज्री। अश्अरी संम्प्रदाय के संस्थापक। पचास पुस्तकों के लेखक।

अबुल क़ासिम तब्रानी : प्रसिद्ध मुहद्दिस जन्म २६० हिज्री, मृत्यु ३६०/९७१

अबू यूसुफ़ : जन्म कूफ़ा ८०/६९९, मृत्यु बग़दाद १८२/७९८ अबू हनीफ़ा के शिष्य।

अबू नुऐम इसबहानी : जन्म ३३६/९४८, मृत्यु ४३०/१०३८। महान् मुहद्दिस, हाफ़िज़, इतिहास कार।

अहमद इब्न हम्बल : जन्म बग़दाद १६४/७८०, मृत्यु २४१/८५५, महान् मुहद्दिस, हम्बली फ़िक़्हा के इमाम - *अल-मुस्नद* के लेखक।

अनस इब्न मालिक : सहाबी-ए-रसूल सल्ला० महान् मुहद्दिस, मृत्यु बसरा ९३/७११, आयु १०३ वर्ष।

इयाम बैहक़ी : नाम अबू बक्र अहमद, शाफ़ई सम्प्रदाय के महान् विद्यावान, हाफ़िज़, मुहाद्दिस, फ़क़ीह, जन्म ३८४/९९४, मृत्यु नेसापूर ४५८/१०६६।

इमाम बुख़ारी : जन्म बुख़ारा १९४/८१० मृत्यु समरक़ंद २५६/८७० हाफ़िज़े क़ुरआन, नौ लाख अहादीस जमा की उनमें से नौ हज़ार चुनकर पुस्तक *'अल जामे अल सहीह'* लिखी जो छः प्रमाणिक पुस्तकों में शामिल है।

इब्न माजा : नाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद, महान् मुहद्दिस, हाफ़िज, जन्म २०९/८२४, मृत्यु २७३/८८७. उनकी पुस्तक *'किताबुस-सुनन'* छः प्रमाणिक पुस्तकों में शामिल है।

इब्न मसऊद : नाम अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह सहाबी-ए-रसूल सल्ला० हाफ़िज़, मुफ़स्सिरे क़ुरआन, उन दस असहाब में शामिल जिनको जन्नत की शुभ सूचना दी गई थी, मृत्यु ३२ हिज्री/६५२.

इब्न उमर : अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह, दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर रज़ी० के पुत्र, महान् मुहद्दिस। आठ वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ इस्लाम स्वीकार किया। मृत्यु मक्का ७३/६९२।

जारूल्लाह ज़मख़शरी : अबुल क़ासिम महमूद, तफ़सीर, हदीस, व्याकरण, भाषा - विज्ञान के प्रसिद्ध विद्यावान। जन्म ४६७/१०७५, मृत्यु ५३८/११४४ *तफ़सीरे कश्शाफ़* के लेखक।

जलालुद्दीन सुयूती : शाफ़ई, जन्म ८४९ हिज्री, मृत्यु ९११/१५०५। हाफ़िज़े कुरआन, पाँच सौ से अधिक पुस्तकों के लेखक, तफ़सीर *अद-दुर्रुल मन्सूर* के लेखक।

दव्वानी : जलालुद्दीन मुहम्मद, जन्म ईरान ८३०/१४२७, मृत्यु ९०७/१५०२। फ़िक़्ह, तर्कशास्त्र, तत्वज्ञान, आत्म वाद में प्रतिष्टित।

फ़ख़रूद्दीन राज़ी : शाफ़ई, कई पुस्तकों के लेखक, *तफ़सीरे कबीर* के लेखक, जन्म ५४४/११५०, मृत्यु ६०६/१२१०।

साअदुद्दीन तफ़ताज़ानी : जन्म ७१२/१३१२, मृत्यु ७९२/१३८९ समरक़ंद। भाषा-ज्ञान, व्याकरण, तर्क शास्त्र, फ़िक़्ह, धर्म-शास्त्र आदि में प्रतिष्टित, कई पुस्तकों के लेखक।

मुल्ला अली अल-क़ारी : फ़िक़्ह, तफ़सीर, हदीस, धर्म-शास्त्र, तर्कशास्त्र, तत्वज्ञान में प्रतिष्टित, २५० पुस्तकों के लेखक, मृत्यु १००४/१६०५।

सौबान : अबू अब्दुल्लाह सोबान। रसूलुल्लाह सल्ला० के निजी सेवक। एक हज़ार से अधिक हदीसें उनसे रिवायत की गई हैं। मृत्यु ५४ हिज्री।

हाकिम : अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद हाकिम नेसापूरी, जन्म ३२१/९३३, मृत्यु ४०५/१०१४, प्रतिष्टित मुहद्दिस और लेखक।

तिरमिज़ी : अबू ईसा मुहम्मद, हाफ़िज, मुहद्दिस जन्म २०९ हिज्री, मृत्यु २७९/८९२, *जामे अल-सिरमिज़ी* के लेखक जो छः प्रमाणिक पुस्तकों में शामिल है।

अकाडमी की प्रकाशित पुस्तकें

१. अल्लामाशम्सी मशाहीर की नज़र में

२. रिसालतुल मेअराज

३. इस्लाहुज़् - ज़ुन्नुन फ़ी जवाब इब्ने ख़लदून्

४. लैलतुल क़द्र

५. अल-अक़ाइद (चारों भाग-उर्दू)

६. अल-अक़ाइद (पहला और दूसरा भाग - हिन्दी)

७. अल-अक़ाइद (पहला और दूसरा भाग - अंग्रेज़ी)

८. अल-क़ौलुल मुबीन फ़िल मासूमीन

९. अल-अज़्हारून नाफ़िहा

१०. बराहीने महेदवियह

११. रिसाल-ए-दुआ (उर्दू - हिन्दी - अंग्रेज़ी)

१२. तनवीरूल हिदाया

१३. तफ़सीर लवामिउल बयान (पहला भाग - उर्दू अनुवाद)

१४. अल - अक़ाइल (तीसरा और चौथा भाग - अंग्रेज़ी)

१५. अल - अक़ाइल (पहला और दूसरा भाग - उर्दू)

१६. तफ़सीर लवामिउल बयान (भाग २७, २८, २९ - उर्दू अनुवाद)

१७. अल - अक़ाइद (तीसरा और चौथा भाग - हिन्दी)